



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : शैक्षणिक / 1276
दिनांक : 26-06-2020

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार निम्नलिखित शिक्षकों को सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण नियुक्त किया जाता है।

1. प्रो० पी.के. मिश्र, शिक्षा विभाग।
2. प्रो० शिव राज सिंह, गणित विभाग।
3. प्रो० नीलू जैन गुप्ता, जन्तु विज्ञान विभाग।
- ✓ 4. प्रो० अनिल कुमार मलिक, भौतिक विभाग।
- ✓ 5. डॉ० राहुल कुमार, अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग।
- ✓ 6. डॉ० वाई०पी० सिंह, समाजशास्त्र विभाग।
7. श्री सन्तोष प्रसाद सिंह, सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी।


उक्त समस्त सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता को पूर्व की भाँति नियमानुसार मानदेय व अन्य भत्ते देय होंगे।

कुलसचिव
26/06/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

01. सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. प्रभारी प्रतिकुलपति कार्यालय, प्रतिकुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
04. परीक्षा नियंत्रक, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
05. वित्त अधिकारी, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
06. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. कुलानुशासक/चीफ वार्डन/पुस्तकालयाध्यक्ष/क्रीडाधिकारी चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. समस्त विभागाध्यक्ष, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
09. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
10. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/११८

दिनांक : 02.09.2019

अधिसूचना

मा० कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय कुलानुशासक मण्डल की व्यवस्था को सुदृढ़ तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से अनुशासन बनाने हेतु परिसर के विभिन्न विभागों में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों को सहायक कुलानुशासक के रूप में कुलानुशासक मण्डल में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।


(अ) शिक्षक नियमित विभाग :-

1. प्रो० रविन्द्र कुमार, अंगेजी विभाग।
2. डॉ० अशोक कुमार, वनस्पति विज्ञान विभाग।
3. डॉ० दुष्यन्त कुमार चौहान, जन्तु विज्ञान विभाग।
4. डॉ० यशवेन्द्र वर्मा, विष विज्ञान विभाग।
5. डॉ० प्रदीप चौधरी, सांख्यिकी विभाग।
6. डॉ० सरू कुमारी, गणित विभाग।
7. डॉ० सचिन कुमार, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रिडिंग विभाग।
8. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रिडिंग विभाग।
9. डॉ० नाजिया तरन्नुम, रसायन विज्ञान विभाग।
10. डॉ० योगेन्द्र कुमार गौतम, भौतिक विज्ञान विभाग।

(ब) शिक्षक, स्वःवित्त पोषित संस्थान/विभाग:-

11. डॉ० स्वाति सिंह, बी०टैक० एप्लाइड सॉईस विभाग, सर छोटू राम इन्जी० एवं तकनीकी संस्थान।
12. ई० प्रवीण कुमार बी०टैक० (आई०टी०) विभाग, सर छोटू राम इन्जी० एवं तकनीकी संस्थान।
13. डॉ० विवेक कुमार, विधि अध्ययन विभाग।
14. श्री मनी गर्ग, एम०बी०ए० (एच०ए०) स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज।
15. डॉ० स्वाति शर्मा, एम०बी०ए०, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज।

उपरोक्त सभी कुलानुशासक मण्डल को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय एवं अन्य भत्ते देने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।


कुलसाचिव



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

बैठक का कार्यवृत्त

छात्रावास सम्बन्धित विभिन्न मामलों में विचार करने हेतु विश्वविद्यालय छात्रावास अधीक्षकों/अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 को 10.30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक (चीफ वार्डन) कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में सम्पन्न हुयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

1. प्रो० वाई० विमला
2. प्रो० जितेन्द्र कुमार
3. प्रो० पी०के० शर्मा
4. प्रो० प्रतिभा त्यागी
5. प्रो० ए०के० चौबे
6. प्रो० अतवीर सिंह
7. प्रो० अराधना
8. डा० दिनेश कुमार
9. डा० यशवेन्द्र वर्मा
10. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान
11. कर्नल (भू०पू०) अनिल सिंसेही
12. डा० गरिमा सिंह
13. इ० प्रवीन कुमार

- छात्र कल्याण अधिष्ठात्री
कुलानुशासक
मुख्य छात्रावास अधीक्षक
वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
वार्डन, भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास
वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
वार्डन, डा० कै०पी० छात्रावास
वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास
सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
सहा० वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास

समिति ने विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जिनका विवरण निम्न प्रकार है। प्रकरणों से सम्बन्धित अभिलेख दुर्गा भाभी महिला छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं जो कि पत्रावली में उपलब्ध है।

1. दिनांक 15.06.2017 की रात्रि को 8.00 बजे के लगभग दुर्गा भाभी महिला छात्रावास में कु० दिव्या राव (बी०ए० एल०एल०बी०, अन्तिम वर्ष) कक्ष सं०-बी०-5ए तथा छात्रावास कक्ष सं० सी-3 में निवास करने वाली कु० सोनी गौतम (एम०फिल० वनस्पति विज्ञान विभाग) के बीच छात्रावास में मारपीट एवं अभद्रता करने की घटना हुई, जिसमें निम्नलिखित छात्राओं को दिनांक 16.06.2017 को चीफ वार्डन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।

1. कु० दिव्या राव, बी०ए० एल०एल०बी० (अन्तिम वर्ष) कक्ष सं० बी०-5ए
2. कु० सोनी गौतम, एम०फिल० वनस्पति विज्ञान विभाग कक्ष सं० सी-3
3. कु० मीना पटेल, शोध छात्रा समाजशास्त्र विभाग कक्ष सं० ए-3
4. कु० रेखा राणा, एल०एल०एम० (अन्तिम वर्ष) कक्ष सं० ए-18

उपरोक्त सभी छात्राओं को दिनांक 17.06.2017 को 3.00 बजे तक अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। निर्धारित समय में कु० मीना पटेल के अतिरिक्त तीनों छात्राओं का पक्ष प्राप्त हो गया था।

1

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

भेज कर वार्डन एवं चीफ वार्डन पर ही कथित रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। समिति ने कु0 मीना पटेल के इस कृत्य को गम्भीर अनुशासनहीनता माना है। और यह पाया कि कु0 मीना विश्वविद्यालय अधिकारियों, प्रशासन, छात्राओं पर दबाव बनाने, अनर्गल आरोप लगाने, छात्रावास में झगडा कराने, की आदी है। इस प्रकरण से पूर्व कु0 मीना पटेल के विरुद्ध छात्रावास में अपनी सहयोगी छात्राओं को गाली-गलौच करने, डराने-धमकाने व छात्रावास से उठवाने की धमकी देने, आदि की शिकायते प्राप्त होती रही है। उपरोक्त के साथ साथ कु0 मीना पटेल को कॉंपरेटिव मैस में फर्जी बिल बनाने, कई महीने तक वार्डन व चीफ वार्डन के बार-बार लिखित व मौखिक रूप से कहने पर भी कॉंपरेटिव मैस का प्रथम तीन-चार महीने तक कोई हिसाब-किताब न देने, के बावजूद दबाव बनाकर व झुठ बोलकर अग्रिम धनराशि प्राप्त करते रहने, मैस कर्मचारियों को बताये गये मासिक मानदेय से कम भुगतान करने, मैस में अपनी मर्जी से कर्मचारियों को बदलने व रखने की सूचना वार्डन व किसी भी अधिकारी को न देने, अपनी मर्जी से बिना पूर्व सूचना के मैस बन्द कर देने व स्वयं तथा कुछ विशेष छात्राओं का ही भोजन तैयार कराने, वार्डन एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष झूठी सूचनाएं प्रस्तुत करने, मैस कमेटी भंग होने के बाद भी वार्डन/चीफ वार्डन द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से बार-बार कहने पर भी मैस संचालन में दखल करने व बकाया धनराशि को स्वयं खर्च करने/नियन्त्रण में रखने, आदि की आरोपित है। कु0 मीना पटेल ने अपने हित साधने के लिए छात्रावास में धार्मिक भेदभाव फैलाने की भी कई बार कुनेष्टा की है। न कि केवल वर्तमान छात्रावास अधीक्षिका बल्कि पूर्व वार्डन प्रो0 जयमाला द्वारा भी उनकी अनुशासनहीनता, अभद्रता, अवज्ञा, छात्राओं को प्रशासन के खिलाफ भडकाने, प्रशासन पर अनर्गल आरोप लगाने, प्रशासन को अवगत कराये बिना छात्रावास में पुलिस बुलाने की शिकायते प्राप्त होती रही है। उपरोक्त आरोपों को वार्डन्स की जाँच समिति की आख्या एवं अन्य साक्ष्य एवं अभिलेख पुष्ट करते है।

समिति ने कु0 मीना के उपरोक्त आचरण एवं कृत्यों को अति गम्भीर, अनुशासनहीन, अनैतिक एवं अमर्यादित माना है। अतः समिति ने समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया कि कु0 मीना पटेल को तत्काल प्रभाव से छात्रावास से निष्कासित कर छात्रावास खाली करा लिया जाये और उसे भविष्य में कभी भी विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास सुविधा न प्रदान की जाये।

समिति ने वार्डन्स की जाँच समिति की आख्या में इंगित कु0 मीना पटेल द्वारा कॉंपरेटिव मैस में की गई विभिन्न घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि छात्रावास की वार्डन द्वारा कु0 मीना पटेल को उक्त जाँच समिति की आख्या की एक प्रति उपलब्ध करा कर उनका पक्ष एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर लिया जाये ताकि उक्त के आलोक में भी अग्रिम अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जा सके।

5. समिति अवगत हुई कि सत्र 2016-17 में कई छात्रावासों में यह पाया गया कि कुछ छात्र ने अपने कमरों में विशेष रंगई पुताई एवं फर्नीसिंग करवाई हुई थी। जो कि अभियन्त्रण विभाग पर अवैध दबाव बनाकर करवाई गई थी। ऐसे कई कक्षों के छात्रों/अवैध छात्रों पर कार्यवाही भी की गई थी। कुछ कथित छात्रों द्वारा ऐसा करना छात्रों में असमानता की भावना पैदा करता है एवं छात्रावास के वातावरण को दुष्प्राभावित करता है। अतः यह निर्णय लिया कि प्रत्येक छात्रावास के प्रत्येक कक्ष में एक समान एक जैसी रंगई पुताई एवं सिविल कार्य ही किये जायेंगे। छात्रावास में यदि कोई छात्र/छात्रा अलग से कोई कार्य स्वयं करवाता है अथवा अभियन्त्रण विभाग पर अवैध दबाव बनाकर ऐसा विशेष कार्य/व्यवस्था कराता है तो उसको अवैध कार्य माना जायेगा और ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा उसका छात्रावास आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

समिति ने यह भी संज्ञान लिया कि इस सत्र में ऐसा भी पाया गया कि कुछ छात्र/छात्रा आवास अधीक्षक/ मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा निर्गत पत्रों/नोटिस पत्रों को प्राप्त करने से

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 07-06-2017 को 12:30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में समस्त छात्रावास अधीक्षकों की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

1. प्रो० वाई० विमला	छात्र कल्याण अधिष्ठात्री
2. प्रो० पी०के० शर्मा	चीफ वार्डन
3. प्रो० जितेन्द्र कुमार	प्रोक्टर
4. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
5. प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, बी० आर० अम्बेडकर छात्रावास
6. डा० दिनेश कुमार	वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास
7. डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
8. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
9. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
10. डा० गरिमा सिंह	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
11. ई० प्रवीण पंवार	सहा० वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास

बैठक में छात्रावास से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और समुचित विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. वर्ष 2017-18 सत्र हेतु समस्त पुरुष एवं महिला छात्रावासों के मैसो में भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र की तकनीकि-विड (भाग-1) का अध्ययन कर आंशिक संशोधन किये गये। जैसे कि पुरुष छात्रावास हेतु अधिकतम दरें रुपये 80 प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 रुपये प्रतिदिन तथा महिला छात्रावास हेतु अधिकतम दरें रुपये 73 से बढ़ाकर 76 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रपत्र के नोट के बिन्दु स०- 03 में आंशिक संशोधन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि भोजन आपूर्ति हेतु न्यूनतम अवधि का टेन्डर/ ई-टेन्डर शीघ्र जारी किया जाये ताकि नये सत्र में छात्र/ छात्राओं को भोजन की आपूर्ति करने में विलम्ब न हो।
2. सत्र 2017-18 हेतु छात्रावास विवरणिका (छात्रावास ब्रोशर) में वांछित संशोधन शीघ्र कर लिये जायें।
3. कौन से छात्रावास में किस कक्षा एवं वर्ष/ सत्र के छात्र/ छात्रा निवास करेंगे यह गत वर्ष के अनुरूप ही रहेगा।

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न प्री- पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम के छात्र/ छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जा सकती है बशर्ते छात्रावास में खाली सीटें उपलब्ध हो ऐसे छात्र/ छात्राओं को छात्रावास के एक कक्ष में डबल आबंटन किया जा सकता है और इनको छात्रावास का पूर्ण शुल्क एवं पूर्ण प्रतिपूर्ति राशि जमा करनी होगी। और मैस में इनके खाने की दरें गेस्ट चार्ज के आधार पर चार्ज की जायेगी।

5. ग्रीष्म सत्रावसान एवं छात्रावास में मरम्मत आदि का कार्य कराने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर छात्रावास, डा0 कैलाश प्रकाश छात्रावास तथा दुर्गा भाभी महिला छात्रावास को दिनांक: 14-07-2017 से तीन सप्ताह के लिये तत्काल खाली करा लिया जायें। अन्य सभी छात्रावास पहले ही खाली हो चुके हैं। नये सत्र (2017-18) में सभी छात्रावासों में नये / पुनः आबंटन किये जायें।
6. लगभग सभी छात्रावासों में कर्मचारियों का अभाव है जिससे छात्रावास के प्रशासनिक एवं साफ-सफाई सम्बंधित कार्य गलत तरीके से प्रभावित होते हैं अतः सभी वार्डन्स को निर्देशित किया जाये कि उनके यहां किस श्रेणी के कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं और नियमानुसार कितने की आवश्यकता है, का विवरण एक सप्ताह के अन्दर चीफ वार्डन कार्यालय में प्रेषित करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की तेनाती कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
7. छात्रावास में सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु आन लाईन पोर्टल प्रक्रिया जारी रखने के लिये छात्रावास पोर्टल में आवश्यक संधोधन कर लिये जायें प्रवेश की आन लाईन प्रक्रिया एवं पोर्टल के रख-रखाव हेतु कम्प्यूटर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अतः इस हेतु, पूर्व चीफ वार्डन के कार्यकाल के अनुरूप, समुचित मानदेय प्रदान करने का प्रावधान किया जायें। उपरोक्त कार्य हेतु ई0 प्रवीन कुमार तथा कार्यालय के एक तृतीय श्रेणी तथा एक चतुर्थ श्रेणी स्टाफ की आवश्यकता होगी और ये चीफ वार्डन कार्यालय में चीफ वार्डन के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(डा0 गरिमा सिंह)
सहायक वार्डन

(ई0 प्रवीन कुमार)
सहायक वार्डन

(डा0 दुष्यन्त कुमार चौहान)
वार्डन

(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

(डा0 अल्पना अग्रवाल)
सहायक वार्डन

(डा0 दिनेश कुमार)
वार्डन

(प्रो0 अतवीर सिंह)
वार्डन

(प्रो0 ए0के0 चौबी)
वार्डन

(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)
प्रोक्टर

(प्रो0 पी0के0 शर्मा)
चीफ वार्डन

(प्रो0 वाई0 विमला)
छात्र कल्याण अधिष्ठात्री

For kind renewal and approval:

V. C. 11.7.17



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

बैठक का कार्यवृत्त

कु० मीना पटेल के प्रकरण में कुलसचिव जी के पत्रांक पी०ए०/१३८८, दिनांक २६.०९.२०१७ द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक ०५.१०.२०१७ को पूर्वाह्न १०.०० बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक (चीफ वार्डन) कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में सम्पन्न हुयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

१. प्रो० वाई० विमला	छात्र कल्याण अधिष्ठात्री
२. प्रो० यागेन्द्र सिंह	छात्रा के शोध निर्देशक
३. प्रो० जितेन्द्र कुमार	कुलानुशासक
४. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
५. प्रो० जयमाला	समन्वयक, महिला प्रकोष्ठ
६. प्रो० प्रतिभा त्यागी	वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
७. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
८. प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
९. प्रो० आराधना	वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास एवं सदस्या महिला प्रकोष्ठ
१०. डा० दिनेश कुमार	वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास
११. डा० वीरपाल सिंह	सहा० वार्डन, डा० भीमराव अम्बेडकर छात्रावास
१२. डा० आलोक कुमार	विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग (सम्बन्धित विभाग)
१३. डा० संजय कुमार	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
१४. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
१५. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
१६. कर्नल (भू०पू०) अनिल सिरोही	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास
१७. डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
१८. डा० गरिमा सिंह	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
१९. डा० नाजिया तरन्नुम	पूर्व सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास एवं सदस्या महिला प्रकोष्ठ
२०. डा० अशोक कुमार	सहा० कुलानुशासक
२१. डा० प्रदीप कुमार	सहा० कुलानुशासक

आज दिनांक ०५.१०.२०१७ को पूर्वाह्न में ११.०० बजे मा० कुलपति जी द्वारा गठित उपरोक्त समिति की दुर्गा भाभी महिला छात्रावास से निष्काशित कु० मीना पटेल, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ (विश्वविद्यालय का पत्र सं० १८६०, दिनांक ०३.०७.२०१७ व पत्र सं० पी०ए० १९३८८, दिनांक २६.०९.२०१७) से छात्रावास कक्ष खाली कराने की कार्यवाही करनी हैं (संलग्नक-१ व २)। परन्तु इससे पूर्व समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करना अति महत्वपूर्ण समझा। उल्लेखनीय है कि बार-बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी छात्रा छात्रावास का कक्ष खाली नहीं कर रही है और लगातार अनुशासन हीनता एवं उल्टे झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप कर रही है।

मे ०५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

५.१०.१७

01. समिति ने छात्रावास खाली कराने की तिथि 05.10.2017 से एक दिन पूर्व मा० कुलपति जी, जिला प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों को प्रेषित किये गये कु० मीना पटेल के पत्र दिनांक 04.10.2017 (संलग्नक-3) का भी संज्ञान लिया। उक्त पत्र में कु० मीना पटेल ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रकरण से भ्रमित करने, स्वयं पर कार्यवाही से बचने की मंशा से व शङ्क्यकारी तरीके से जान-बूझ कर वार्डन, चीफ वार्डन, प्रोक्टर एवं विश्वविद्यालय प्रशासन पर उल्टे ही झूठे आरोप-प्रत्यारोप किये हैं। उल्लेखनीय है कि कु० मीना ने कल भी कुलसचिव कार्यालय में हंगामा व अभद्रता की थी। समिति ने कु० मीना पटेल के पूर्व के अनुशासनहीनता एवं शरारत पूर्ण कृत्यों का भी सन्दर्भ लिया। कु० मीना पटेल प्रशासन/अधिकारियों/शिक्षकों पर अवांछित दवाब बनाने हेतु व स्वयं पर कार्यवाही से बचने के लिये पूर्व में इसी तरीके से झूठे आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं। जिसका विवरण कु० मीना पटेल को छात्रावास से निष्कासित करने वाले पत्र दिनांक 03.07.2017 में भी दिया गया है। (संलग्नक-4)। यह कि कु० मीना पटेल ने पूर्व में भी छात्रावास की पूर्व वार्डन व चीफ वार्डन पर भी इसी प्रकार झूठे, मनगढ़ंत, शरारत पूर्ण व स्वयं पर कार्यवाही से बचने तथा अवांछित दवाब बनाने हेतु अशोभनीय आरोप लगाये थे। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति व महिला प्रकोष्ठ की आख्या दिनांक 05.11.2015, कु० मीना पटेल का स्वयं का पत्र/शपथ पत्र दिनांक 05.11.2015 तथा कुलसचिव जी के पत्र सं० पी०ए०/8367, दिनांक 09.11.2015 पुष्टि स्वरूप संलग्न हैं। (संलग्नक-5, 6 व 7)

02. समिति ने यह भी संज्ञान लिया की कु० मीना पटेल का यह आचरण अति निन्दनीय एवं विश्वविद्यालय के पठन पाठन एवं प्रशासनिक संचालन में भी बाधक हैं। इस छात्रा के कारण आये दिन न केवल सहपाठी छात्र/छात्राओं बल्कि शिक्षकों का भी समय एवं शान्ति भंग होती है। पूर्व प्रकरण में इस छात्रा को सशर्त छात्रावास कक्ष आवंटित किया गया था कि वह अपना आचरण शालीन रखेगी व अनुशासन में रहेगी। परन्तु बहुतायत में अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी इस छात्रा के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है और न ही सुधार होने की कोई सम्भावना प्रतीत होती है। अतः विश्वविद्यालय हित को सर्वोपरि मानते हुए समिति का सर्वसम्मति से प्रबल मत है कि कु० मीना पटेल का तत्काल प्रभाव से पी०एच०डी० प्रवेश/पंजीकरण निरस्त करते हुये उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाये व तत्काल छात्रावास खाली कराया जाये।

03. चूँकि प्रकरण छात्रा से सम्बंधित हैं, छात्रा निरंकुशता दिखा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन/अधिकारियों/शिक्षकों पर झूठे व अशोभनीय आरोप लगाने की आदी व माहिर हैं इसलिए समिति का एकमत है कि छात्रावास खाली कराने वाली समिति में जिलाधिकारी, मेरठ/सक्षम अधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जाये। इस आशय का पत्र कुलसचिव जी द्वारा शीघ्र प्रेषित किया जाये।

(डा० धरवन्द्र वर्मा) (डा० दुष्यन्त कुमार चौहान) (डा० अल्पना अग्रवाल) (डा० अशोक कुमार)

(डा० प्रदीप कुमार) (कर्नल भु०पु० अनिल सिरोही) (डा० गरिमा सिंह) (डा० नाजिया तरनुम)

(डा० दिनेश कुमार) (डा० वीरपाल सिंह) (डा० आलोक कुमार) (डा० संजय कुमार) (प्रो० प्रतिभा त्रिपाठी)

(प्रो० ए०के० चौबे) (प्रो० अतवीर सिंह) (प्रो० आराधना) (प्रो० जयमाला)

(प्रो० जितेन्द्र कुमार) (प्रो० पी०के० शर्मा) (प्रो० योगेश्वर सिंह) (प्रो० वाई० विमला)

Page 2 of 2

कुलसचिव जी को अवलोकनार्थ व मा० कुलपति जी के स्तर अनुमोदनार्थ

(कुलसचिव)

(कुलसचिव जी)

Approved

M
05.10.17



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
बैठक का कार्यवृत्त

छात्रावास सम्बन्धित विभिन्न मामलों में विचार करने हेतु विश्वविद्यालय छात्रावास अधीक्षकों एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक दिनांक 09.11.2017 को 11.30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक (चीफ वार्डन) कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

1. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० प्रतिभा त्यागी	वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
3. डा० बीरपाल सिंह	सहायक कुलानुशासक
4. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
5. डा० सोहन लाल गर्ग	निदेशक, एस०सी०आर०आई०ई०टी०
6. डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
7. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
8. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
9. कर्नल (भू०पू०) अनिल सिरोही	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास
10. ई० प्रवीन कुमार	सहा० वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास
11. डा० अशोक सोम	सहा० प्रशा० अधिकारी, एस०सी०आर०आई०ई०टी०

समिति ने विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

- दिनांक 08.11.2017 की रात्रि को 9.30 बजे के लगभग डा० ए०पी०जे०ए०के० आजाद छात्रावास में कुछ बाहरी तत्व जोकि छात्रावास में Swift Desire कार में आये थे, ने छात्रावास में अन्दर घुसकर छात्रों को डराया एवं धमकाया व कई राउन्ड फायरिंग कर आतंक का माहौल पैदा किया।
- छात्रावास के समस्त छात्र एकत्र होकर वार्डन के समझाने के उपरान्त भी कुलपति आवास पर लगभग 10.30 बजे पहुँचे एवं वहाँ नारे बाजी एवं हंगामा किया, जिससे पुलिस बल भी वहाँ पहुँच गया था। छात्र उग्र हो गये थे और पुलिस पर पथराव भी किया। तत्पश्चात वे छात्र रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास के सामने एकत्रित हो गये। तब विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड ने उनको समझाया एवं वार्ता कर घटना के बारे में जानकारी ली एवं घटना पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिससे छात्र छात्रावास वापस लौट गये।
- दिनांक 09.11.2017 की सुबह चीफ वार्डन, निदेशक, वार्डन एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड ने छात्रावास का निरीक्षण किया और पाया कि रात्रि में जो सुरक्षा गार्ड तैनात था उसने आगन्तुक रजिस्टर में कोई Entry नहीं कर रखी थी। गाडी का नम्बर नोट नहीं किया और घटना की जानकारी वार्डन एवं किसी अन्य अधिकारी को भी नहीं दी। सुरक्षा की दृष्टि से कमेटी ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये।
 - सर/छोटूराम अभियंत्रण एवं तकनीकी संस्थान का मुख्य द्वार सांय को 6.00 बजे पूर्णतया ताला लगाकर बन्द कर दिया जायें। व केवल एक तरफ का छोटा दरवाजा जंजीर डालकर इतना खुला रहने दिया जायें कि केवल एक व्यक्ति पैदल प्रवेश कर/निकल सकें।
 - छात्रावास के नियमानुसार रात्रि 10.00 बजे छात्रावास का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जायें। इसके उपरान्त किसी भी छात्र एवं व्यक्ति का आना जाना न हो। छात्रावास में छात्रों के आने जाने का विवरण सुरक्षा गार्ड द्वारा आगन्तुक रजिस्टर में दर्ज किया जायें।


(Handwritten signatures and initials)


- (3). संस्थान में Applied Science की तरफ सडक पर (नाले के पास वाले) गेट को रात्रि 10.00 बजे ताला डालकर बंद कर दिया जायें। और उस गेट पर गार्ड कक्ष का निर्माण अथवा Movable Cabin रखवा दिया जायें।
- (4). यह कि छात्रावास में अवैध वाहन का प्रवेश ना होने पायें, इसलिए छात्रावास के ऐसे छात्र जिनके पास दो-पहिया वाहन हैं उसका प्रकार, नम्बर, छात्र का नाम, आवंटित कक्ष संख्या सहित विवरण प्राप्त कर लिया जायें, जिसकी एक प्रति वार्डन के पास एवं एक प्रति सुरक्षा प्रभारी/कर्मी के पास रहें। इस पर वार्डन तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।


- (4). कमरा नम्बर 56 में दो छात्र श्री पंकज यादव, बी0टैक-ए0जी0, चतुर्थ वर्ष एवं श्री निलेश शर्मा (पास आउट बी0टैक) अवैध रूप से रहते पायें गये श्री पंकज यादव को तत्काल प्रभाव से संस्थान से निलम्बित कर दिया जायें एवं श्री निलेश शर्मा को अग्रिम बैंक पेपर परीक्षा से रोकते हुए परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जायें। कमरा नम्बर 56 एवं 92 जोकि अवैध रूप से धरे हुए थे, को सील कर दिया गया।
- (5). छात्रावास में हुई गोलीबारी एवं आतंकित करने वाली घटना के संबन्ध में क्योकि कोई नाम अभी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं है इसलिए घटना की अज्ञात में थाना मेडिकल में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु वार्डन द्वारा पत्र प्रेषित किया जायें। जिसको मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं प्रोक्टर अग्रसारित करेगें।


(6). कमैटी द्वारा छात्रावास की सुरक्षा की दृष्टि से निम्न निर्णय भी लिये गये:-


- (1). जिन छात्रावासों में एच0डी0 कैमरे नहीं लगे हैं उन छात्रावासों में तत्काल कैमरे लगवाये जायें।
- (2). विश्वविद्यालय परिसर में जो छात्र अथवा बाहरी व्यक्ति तेज एवं असाधारण ध्वनि करने वाले वाहन लेकर आते हैं उनका परिसर में आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया जायें। सुरक्षा एजेंसी को निर्देशित किया जायें कि परिसर में ऐसे वाहनों एवं उनको चलाने वालों को चिन्हित कर चीफ प्रोक्टर एवं चीफ वार्डन को तत्काल सूचना उपलब्ध करायें।
- (3). किसी भी छात्र अथवा छात्र समूह को विश्वविद्यालय शिक्षको/अधिकारियों के आवास पर प्रदर्शन/आन्दोलन/अभद्रता करना पूर्णतया अनुशासनहीनता माना जायेगा एवं उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।



(ई0 प्रवीन कुमार)
सहा0 वार्डन


(डा0 अशोक सोम)
सहा0 प्रशा0 अधिकारी



कर्नल (भू0पू0) (अनिल सिरौही)
वार्डन



(डा0 दुष्यन्त कुमार चौहान)
वार्डन



(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन



(डा0 अल्पना अग्रवाल)
सहा0 वार्डन


(डा0 दीपक सिंह)
सहा0 कुलानुशासक



(डा0 सोहन लाल गर्ग)
निदेशक


(प्रो0 ए0के0 चौबे)
वार्डन


(प्रो0 प्रतिमा स्यागी)
वार्डन


(प्रो0 पी0के0 शर्मा)
चीफवार्डन

Approved


11.11.17



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 04-04-2018 को दोपहर 11:30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में सत्र 2018-19 हेतु छात्रावास ब्रोशर में संशोधन, छात्रावास मैस एवं अन्य सम्बन्धित प्रकरणों के सन्दर्भ में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें।

- | | |
|------------------------|--|
| 1. प्रो० पी०के० शर्मा | चीफ वार्डन |
| 2. प्रो० बीर पाल सिंह | सहा०वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास |
| 3. डा० दिनेश कुमार | वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास |
| 4. डा० यशवेन्द्र तर्मा | वार्डन, वी०एस०एग०पी० छात्रावास |
| 5. डा० नाजिया तरन्नूम | सहा०वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास |
| 6. इन्जी० प्रवीण कुमार | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०कलाम छात्रावास |

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया ।

1. सत्र 2018-19 में छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु टेन्डर प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाये।
2. टेंडर की शर्तों में इस शर्त का भी उल्लेख होना चाहिये कि भोजन आपूर्तिकर्ता खाना पकाने हेतु कामर्शियल गैस सिलेण्डर का ही इस्तेमाल करने की अनुमति होगी एवं मैस में सुरक्षा उपायों की समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संचालनकर्ता की होगी।
3. मैस संचालनकर्ता मैस में रखे जाने वाले कर्मचारियों/ मजदूरों के सम्बन्ध में मैस में कार्य करने की अनुमति सम्बन्धित अधिकारी यथा लेबर आफिसर से प्राप्त कर उसकी एक प्रति वार्डन कार्यालय में जमा करेंगे।
4. छात्रावास आवेदन पत्र में छात्रावास आबंटन हेतु यदि उक्त छात्र/ अभ्यर्थी पूर्व में विश्वविद्यालय छात्रावास में रहा है तो उसका विवरण निम्नलिखित प्रारूप में आवेदन में सम्मिलित किया जाये।

छात्रावास में निवास की अवधि	छात्र की अवांछित गतिविधियों अथवा छात्रावास शुल्क भुगतान न करने अथवा विलम्ब से करने का उल्लेख।

हस्ताक्षर सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक

5. अभियन्त्रण विभाग द्वारा सभी छात्रावासों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाये।
6. विभिन्न छात्रावासों में कर्मचारियों की कमी एवं फलस्वरूप छात्रावास संचालन में होने वाली असुविधा का संज्ञान लिया गया, तथा प्रत्येक छात्रावास में निम्नानुसार कर्मचारी नियुक्त करने की संस्तुति की गयी।

(1) नेमी लिपिक - 01

(2) आदेश पाल - 01

(3) माली - 01

(4) सफाईकर्मी - 0304 (क.पी. तथा बी.आर. कन्वेंशन छात्रावास में केवल 3-3) *Recd*

7. सत्र 2018-19 हेतु छात्रावास की सूचना पुस्तिका का अध्ययन किया गया और उसमें यथा स्थान आवश्यक संशोधन किये गये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुयी।

Sele
4.4.18
(डा० प्रवीण कुमार)
वार्डन

Nazia Tasarrum
(डा० नाजिया तरन्नूम)
सहा० वार्डन

lymer
4.4.18
(डा० यश्वेन्द्र वर्मा)
वार्डन

Di
4.4.18
(डा० दिनेश कुमार)
वार्डन


Di
4.4.18
(प्रो० बीर पाल सिंह)
सहा० वार्डन

Pr
04-4-18
(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन

छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

Di
(छात्र कल्याण अधिष्ठाता)

M
(मा० कुलपति जी)
05-5-18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

आज दिनांक 23-07-2018 को 12:30 बजे कुलपति कार्यालय में एक बैठक आहुत की गई जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे।

1. प्रो० एन०के० तनेजा	कुलपति
2. प्रो० एच०एस० सिंह	प्रतिकुलपति
3. प्रो० वाई० विमला	डी०एस०डब्ल्यू
4. प्रो० प्रतिभा त्यागी	वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई छात्रावास
5. प्रो० पी०के० शर्मा	चीफ वार्डन
6. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० डी०डी०उ० छात्रावास
7. प्रो० आराधना	वार्डन, दुर्गा भाभी छात्रावास
8. प्रो० भूपेन्द्र सिंह	कुलानुशासक
9. प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डा० आर० के० सिंह छात्रावास
10. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप छात्रावास
11. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
12. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
13. डा० नाजिया तरन्नुम	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी छात्रावास
14. ई० डी० पी० सिंह	सहा० वार्डन, पं० डी०डी०ऊ० छात्रावास
15. श्री ज्ञान प्रकाश	कुलसचिव
16. श्री अवध नारायण सिंह	वित्त-अधिकारी

बैठक में छात्रावासों के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. छात्रावासों में समुचित सफाई व्यवस्था हेतु न्यूनतम चार-चार सफाई कर्मी (केवल अम्बेडकर छात्रावास में दो-दो सफाई कर्मी) उपलब्ध कराये जाएंगे और सफाई दिन में दो बार (सुबह 6:00 am से 1:00 pm तथा 1:00 pm से 7:00 pm) कराई जायें।
2. समुचित सफाई की दृष्टि से सड़को पर तैनात सफाई कर्मियों को आवश्यकतानुसार छात्रावासों में तैनात कर दिया जाए. (चीफ वार्डन से परामर्श कर कुलसचिव कार्यवाही सुनिश्चित हनेंगे) और समूचे विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था ठेके पर कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए (कुलसचिव कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे)।
3. प्रत्येक छात्रावास हेतु आकस्मिक व्यय की धनराशि बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से रु. एक लाख प्रति वर्ष की गई। उक्त आकस्मिक धनराशि वार्डन्स द्वारा छात्रावासों में साफ-सफाई तथा अन्य रख-रखाव सम्बन्धी सामान/कार्यों पर खर्च की जायेंगी। (कार्यवाही वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित की जाए।)

(Handwritten signatures and initials)

4. प्रत्येक छात्रावास में एक-एक माली आवश्यक रूप से तैनात किये जायेंगे। अतः जिन छात्रावासों में वर्तमान में कोई माली तैनात नहीं है उनमें शीघ्र एक-एक माली तैनात कर दिये जाए तथा प्रतिमाह प्रति छात्रावास दो बार विश्वविद्यालय के अन्य सफाई कर्मियों तथा उद्यान विभाग के मजदूरों से कटाई-छटाई व साफ-सफाई का कार्य सम्पन्न कराया जाये। (कार्यवाही चीफ वार्डन से परामर्श कर कुलसचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी)।
5. संज्ञान लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट की संरचना, मरम्मत, रखरखाव आदि में संलग्न कम्पनी 'Softweb Infotech Dot Com', जिसने गत वर्ष छात्रावास की ऑनलाइन प्रक्रिया का भी कार्य किया था, वही कम्पनी छात्रावास ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम (www.ccsuniversityhostel.com) का कार्य भी कर रही है। अतः उक्त कम्पनी/फर्म से AMC (Annual maintenance contract) कराने व तदानुसार भुगतान अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया।
6. क्योंकि छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क का भुगतान, आदि ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा इसलिये छात्रावासों के समुचित ऑनलाइन प्रबन्धन हेतु चीफ वार्डन कार्यालय में निम्नानुसार आई0 टी0 सेल का गठन किया गया जो कि तत्काल प्रभाष से क्रियाशील होगी।

1	चीफ वार्डन	समन्वयक	मानदेय	शून्य/अवैतनिक
2	ई0 प्रवीण कुमार	वार्डन	मानदेय	₹0 1800/- प्रतिमाह
3	श्री रविन्द्र सिंह चीफ वार्डन का0	कुशल	मानदेय	₹0 1000/- प्रतिमाह
4	श्री मनी सिंह/सुश्री रूकसाना	कुशल/आउट सोर्सिंग	मानदेय	₹0 1000/- प्रतिमाह
5	आदेशपाल चीफ वार्डन का0	एक	मानदेय	₹0 800/- प्रतिमाह

7. समस्त छात्रावासों में जब तक नई मैस टैंडर प्रक्रिया सम्पन्न होती है तब तक वर्तमान सत्र 2018-19 की शुरुआत में छात्र/छात्राओं की तात्कालिक भोजन व्यवस्था हेतु पिछले सत्र 2017-18 में संलग्न मैस ठेकेदारों से पिछले सत्र की दरों एवं शर्तों पर ही मैस संचालित कराये जाये। (कार्यवाही चीफ वार्डन द्वारा सुनिश्चित कराई जाये।)
8. बैठक में सर्वसम्मति से छात्र कल्याण अधिष्ठाता, कुलानूशासक, चीफ वार्डन, वार्डन्स, सहा0 छात्र कल्याण अधिष्ठाता तथा सहा0 वार्डन्स के मानदेय एवं अन्य देय में निम्न प्रकार संशोधन किये जाने एवं तत्काल प्रभाव से लागू जाने का निर्णय लिया गया।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the middle, and a signature on the right with the initials 'PCL' written below it.

पद	मानदेय प्रतिमाह		वाहन व्यय प्रतिपूर्ति प्रतिमाह		दूरभाष व्यय प्रतिमाह	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
छात्र कल्याण अधिष्ठाता	2500/-	3500/-	750/-	1000/-	500/-	तदैव
कुलानुशासक	2000/-	3000/-	750/-	1000/-	500/-	तदैव
मुख्य छात्रावास अधीक्षक	2000/-	3000/-	750/-	1000/-	500/-	तदैव
छात्रावास अधीक्षक	1800/-	2500/-	750/-	1000/-	500/-	तदैव
सहा0 वार्डन	1200/-	18,00/-	750/-	1000/-	500/-	तदैव
सहा0 छात्र कल्याण अधिष्ठाता	1200/-	18,00/-	750/-	1000/-	500/-	तदैव

सहा. कुलानुशासक

[Signature]
(ई0 डी0 पी0 सिंह)
सहा0 वार्डन

[Signature]
Nazia Tarannan
(डा0 नाजिया तरन्नूम)
सहा0 वार्डन

[Signature]
(ई. प्रवीन कुमार)
वार्डन

[Signature]
(डा0 डी0के0 चौहान)
वार्डन

[Signature]
(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 दिनेश कुमार)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 भूपेन्द्र सिंह)
कुलानुशासक

[Signature]
(प्रो0 आशुतोष)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 ए0के0 चौबे)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 प्रतिभा त्यागी)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 पी0के0 शर्मा)
चीफ वार्डन

[Signature]
(प्रो0 वाई0 विमला)
डी0एस0डब्ल्यू

[Signature]
(श्री अवध नारायण सिंह)
वित्त-अधिकारी

[Signature]
(श्री ज्ञान प्रकाश)
कुलसचिव

[Signature]
प्रो0 एच0एस0 सिंह)
प्रतिकुलपति

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

[Signature]
(प्रो0 एन0के0 तनेजा)
कुलपति

Received
A
7.6.19

C.C.S. University, Meerut
Minutes of Meeting dated 03.2.2018

Some girl students of Pre-Ph.D. course work, who were allotted hostel and their Pre-Ph.D. course examinations have held, are now approaching Deem-Faculty of Arts and the Chief Warden for providing hostel facility ~~and~~ to prepare their Ph.D. synopsis and till their R.D.C. is held.

In this connection, in the interest of the girls students, especially those who were allotted hostel for their Pre-Ph.D. course, and require the hostel facility for above said purpose, it was discussed and resolved that only those girl students, who were allotted hostel for the duration of their Pre-Ph.D. course, can be allotted hostel for the preparation of their Ph.D. synopsis and till their R.D.C. held or for a max. period of six months, whichever is earlier.

Copy be sent to wardens of Girls Hostels for action in accordance with this resolution.

PKG
05.2.18

Further, M.Phil. girls students after completion of their M.Phil. degree, and they were the hosteller in Univ. campus, can also be provided hostel facility for the same purpose and same duration on the recommendation of concerned HOD/Ph.D. course coordinator. Hostel fee/mess fee will be charged for six months. The Chief Warden shall be authorized to permit this facility.

PKG

03.2.18

(P.K. Sharma)
Chief Warden

(Bhar Singh)
Deem-Arts

(Y. Vimala)
D.S.W.

(H.S. Singh)
PVC

For kind perusal & approval of Hon'ble V.C.

(V.C.) 03/2/18



Ch. Charan Singh University, Meerut

Chief Warden Office

A meeting of the following was held in the office of Chief Warden in Deptt. of Genetics & Plant Breeding at 3:00 pm on 06-08-2018.

1. Prof. P.K. Sharma	Chief Warden
2. Prof. A.K. Chubey	Warden, Deen Dayal Upadhyay Hostel
3. Prof. Dinesh Kumar	Warden, Dr. R.K. Singh Hostel
4. Prof. Beer Pal Singh	Asstt. Warden, Dr. B.R. Ambedkar Hostel
5. Dr. Yeshvendra Verma	Warden, V.S.M.P. Hostel
6. Dr. D.K. Chauhan	Warden, Dr. K.P. Hostel
7. Er. Parveen Kumar	Warden, A.P.J. Abdul Kalam Hostel
8. Dr. Nazia Tarannum	Asstt. Warden, Durga Bhabhi Girls Hostel
9. Dr. Rajiv Sijaria	Dy Director, IBS, SCRIET
10. Col. (Retd.) Anil Kumar	Administrative Officer, SCRIET
11. Mr. Vikas Tyagi	University Engineer
12. Mr. Manoj Kumar	J.E. (Civil)

After discussion on various issues regarding hostel, the following recommendations/decision one made with unanimity.

1. The hostel allotment should be made immediately so that the students may get hostel facility with immediately effect.
2. It was observed that the B.Tech. students who have deposited the half\partial tuition fee of the institute, the Director has recommended their hostel application forms for one semester only. However, one semester allotment is applicable for students of M.Phil. project and pre-Ph.D course work. There should be a clear recommendation for allotment or the application should not be forwarded to Wardens. Therefore, application of B.Tech. students recommended for one semester will not be accepted by the respective Wardens.
3. Some desired changes and corrections were made in the Information Brochure of the hostel that will be uploaded on hostel website.
4. The first year hostellers who have failed in the first year examination will not be entitled for hostel accommodation in the subsequent year.
5. The application form of B.Tech. students shall be verified and recommended by the Coordinator of the respective branch of B.Tech. program; in case the Coordinator is not available, then by the Administrative Officer or the Director of the institute only.
6. The hostel application form of management students shall be forwarded by the Dy. Director of I.B.S., in case he is not available, then by the A.O. or Director of SCRIET only.
7. The Director must furnish a list of coordinators, A.O. and Dy. Director with their signatures attested to all Warden with a copy to Chief Warden.


Coordinator of respective course Dr

8. The renovation/repair work of the hostels, if remaining, be completed immediately.
9. The CCTV cameras of hostels will be linked with mobiles, laptops of Wardens and Asstt. Wardens through broadband connection. The Engineering Section will take necessary action to carry out this work immediately.
10. It was observed that the staff of engineering section remains involved in hostel related works during the days and many a times during nights as well through out the year and extend full cooperation in smooth functioning of the hostels. Therefore, a token incentive was purposed for kind approval, as follows.


- I. University Engineer, Rs. 18,00/- per month.
- II. J.E. (Civil), Rs. 14,00/- per month.
- III. J.E. (Incharge Electrical), Rs. 14,00/- per month.


(Mr. Manoj Kumar)
J.E.(civil)


(Mr. Vikas Tyagi)
Univ. Er.


(Col.(Retd.) Anil Kumar)
Adm. Officer


(Dr. Rajiv Sijeria)
Dy. Director


(Dr. Nazia Trannum)
Asstt. Warden



(Er. Parveen Kumar)
Warden



(Dr. D.K. Chauhan)
Warden


(Dr. Yeshvendra Verma)
Warden


(Prof. Beer Pal Singh)
Asstt. Warden


(Prof. Dinesh Kumar)
Warden


(Prof. A.K. Chubey)
Warden


(Prof. P.K. Sharma)
Chief Warden

For kind perusal and approval of the Hon'ble Vice Chancellor



(Vice Chancellor)

14.8.18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
बैठक का कार्यरत

आज दिनांक 20-08-2018 11:30 बजे पूर्वाह्न चीफ वार्डन कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बी०टेक० द्वितीय वर्ष के छात्रों के प्रत्यावेदन दिनांक 20-08-2018 जो कि छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित है और श्री प्रशांत पटेल बी०टेक० चतुर्थ वर्ष (आई०टी०) तथा श्री हंस चौधरी एल०एल०एम०, द्वितीय वर्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस सन्दर्भ में समुचित विचारोपरान्त सर्वसम्मति से छात्र हित में निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

इस वर्ष बी०टेक० प्रथम वर्ष में छात्रों के अधिक प्रवेश होने व अधिक छात्रावास आवेदन प्राप्त होने, उक्त छात्रों हेतु निर्धारित डा० आर०के० सिंह छात्रावास की क्षमता कम होने तथा अपेक्षाकृत बी०टेक० द्वितीय वर्ष की संख्या कम होने के दृष्टिगत बी०टेक० प्रथम वर्ष के छात्रों को पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास में आबंटित/स्थानान्तरित कर दिया जाए तथा डा० आर०के० सिंह छात्रावास को बी०टेक० द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिये आबंटित कर दिया जाए।

पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास में बी०टेक० प्रथम वर्ष के छात्रों की संख्या यदि प्रति कक्ष दो छात्रों के हिसाब से छात्रावास की कुल क्षमता से अधिक होती है, तो छात्रावास में प्रतिकक्ष तीन-तीन छात्रों का आबंटन किया जा सकता है। उक्त दशा में अभियन्त्रण विभाग छात्रावास में कक्षों हेतु आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

छात्रावास परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान जो बी०टेक० द्वितीय वर्ष के छात्र डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास में अस्थाई रूप से आबंटित रहे तथा उन्होंने मैस में भोजन किया, उसका भुगतान उक्त छात्रों की मैस फीस से डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास के मैस ठेकेदार को कर दिया जाएगा। ऐसा ही डा० आर०के० सिंह छात्रावास के B.Tech प्रथम वर्ष के छात्रों के आबंटित किए जाने पर भी लागू होगा।

(ई० डी०पी० सिंह)
सहा० वार्डन

(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन

(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

(डा० दुष्कन्त कुमार चौहान)
वार्डन

(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन

(डा० राजीव सिजौरिया)
कृते निदेशक

(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन

भा. कुलपति, कृपया यह भी

अवगत होने का कष्ट करें कि आज

दिनांक 21.8.18 को वार्डन द्वारा अग्रसारित आर.के.सिंह

छात्रावास के छात्रों का प्रत्यावेदन भी प्राप्त हुआ है जिसमें

उन्होंने RK Singh छात्रावास में ही रहने की प्रार्थना की है। कृ०

उपरोक्त कार्यवाही आपके सादर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रत्यावेदन सलग है।

(21.8.18)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

माननीय कुलपति जी

Approved
(Honible V. C.) 21.8.18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 24-08-2018 को साय: 4:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. प्रो० पी०के० शर्मा | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 2. प्रो० अतवीर सिंह | वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास |
| 3. डा० दिनेश कुमार | वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास |
| 4. डा० यशवेन्द्र वर्मा | वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास |
| 5. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान | वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास |
| 6. ई० प्रवीन कुमार | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास |
| 7. ई० डी०पी० सिंह | सहा० वार्डन, पं० डी०डी०ऊ० छात्रावास |

बैठक में छात्रावासों के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक की Recommendation पर छात्र की छात्रावास मैस फीस दो किश्तों में जमा कराने का निर्णय लिया गया। परन्तु विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक ऐसी संस्तुति करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रकरण संस्तुति योग्य है अथवा नहीं। मैस फीस की दूसरी किश्त 30 नवम्बर 2018 तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में 05 दिसम्बर 2018 तक रू० 50/- विलम्ब शुल्क के साथ 10 दिसम्बर 2018 तक रू० 100/- विलम्ब शुल्क के साथ जमा करनी होगी। 10 दिसम्बर के पश्चात् भी यदि कोई छात्र मैस फीस की दूसरी किश्त जमा नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में उसे छात्रावास सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।
- एम०फिल एवं पी०एच०डी० के छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण भविष्य में डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास का नवीकरण एवं विस्तार का प्रस्ताव पारित किया गया।
- वर्तमान सत्र 2018-19 में बहुतायात छात्रों द्वारा छात्रावास आबंटन कराने के कारण और भविष्य में बी०टेक० एवं अन्य पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ने की सम्भावना के दृष्टिगत उ०प्र० सरकार के संगत जी०ओ० के अनुसार विश्वविद्यालय में एक नये छात्रावास का शीघ्र निर्माण कराने के कार्य का प्रस्ताव किया गया।
- वी०एस०एम०पी० छात्रावास में छात्रावास की सभी सीटें भरने के कारण डा० आर०के० सिंह छात्रावास में बची हुयी सीटों पर बी०टेक० ^{द्वितीय} वर्ष व अन्य पाठ्यक्रमों के ^(द्वितीय) वर्ष के छात्रों का आबंटन करने का निर्णय लिया गया।

(ई० डी०पी० सिंह)
सहा० वार्डन

(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन

(डा० दुष्यन्त कुमार चौहान)
वार्डन

(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन

(प्रो० अतवीर सिंह)
वार्डन

(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय कुलपति जी

28.8.18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 12-09-2018 को दोपहर 11:30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं एवं साहायक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे।

1 प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2 प्रो० आराधना	वार्डन, दुर्गा भाभी छात्रावास
3 डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
4 डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
5 ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
6 डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
7 डा० नाजिया तरन्नुम	सहा० वार्डन, दू०भा० महिला छात्रावास
8 डा० अर्चना त्रिवेदी	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी छात्रावास
9 ई० डी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
10 ई० लक्ष्मी शंकर सिंह	सहा० वार्डन, ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
11 ई० अमित कुमार पुनिया	सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
12 ई० अंकित सिसोदिया	सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
13 ई० मनोज कुमार	अवर अभियन्ता (सिविल)

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हुए:

1 प्रो० प्रतिभा त्यागी	वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई छात्रावास (सहा० वार्डन उपस्थित थी)
2 प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास (सहा० वार्डन उपस्थित थे)
3 प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
4 प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास

समिति की बैठक में समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये।

- 1 डा० आर०के० सिंह छात्रावास में रिक्त सीटों पर बी०टेक तृतीय वर्ष तथा अन्य पाठ्यक्रमों के वरिष्ठ छात्रों को आबंटित किया जा सकता है।
- 2 डा० के०पी० छात्रावास में रिक्त सीटों पर बी०टेक को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/वरिष्ठ छात्रों को रिक्त सीटों पर आबंटित किया जा सकता है परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि वरिष्ठ छात्र को किसी नये छात्र अथवा प्रथम वर्ष के छात्र के साथ आबंटित न किया जाये।
- 3 ऐसे छात्र/छात्राएँ जो एक यू०जी०/पी०जी० पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से कर चुके हैं उन्हें विश्वविद्यालय से क्रमशः अन्य यू०जी०/पी०जी० पाठ्यक्रम करने की अवधि में छात्रावास आबंटित नहीं किया जायेगा।
- 4 पत्रकारिता एवं दूर-संचार विभाग के पत्र का संज्ञान लिया गया और वहा पर शुरू किये गये एम०फिल० एवं पी-एच०डी० पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के छात्रों को डा० के०पी० छात्रावास तथा वरिष्ठ छात्रों को डा० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास आबंटित करने तथा उक्तानुसार छात्रावास के पोर्टल पर प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।

- 5 बैठक में उपस्थित अवर अभियन्ता श्री मनोज कुमार ने अवगत कराया कि डा0 के0पी0 छात्रावास को सी0सी0टी0वी कैमरों का लिंक मोबाईल फोन पर कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रावासों का यह कार्य एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 6 रानी लक्ष्मी बाई छात्रावास में आबंटित बी0टेके0 प्रथम वर्ष की छात्रा सुश्री कनुप्रिया के सम्बन्ध में वार्डन तथा संस्थान की संयुक्त आख्या का संज्ञान लिया गया और छात्रा को छात्रावास में रहने योग्य नहीं समझा गया। फलस्वरूप उसका छात्रावास आबंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
- 7 क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्पन्न हो चुके हैं और छात्रावास आबंटन प्रक्रिया सत्र आरम्भ से ही चल रही है। अतः आबंटन प्रक्रिया 18-09-2018 की शाम 5:00 बजे पूर्णतः बन्द करने का संकल्प लिया गया। उक्त की सूचना चीफ वार्डन द्वारा समस्त शैक्षणिक विभागों एवं छात्रावासों को 13-09-2018 तक प्रेषित कर दी जाये।
- 8 दुर्गा भाभी छात्रावास की तीन (पूर्व) छात्राओं सुश्री मीना पटेल, सुश्री अनीता मीना तथा सुश्री शबिस्ता खान से छात्रावास तत्काल खाली करा लिया जाये। इस हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति छात्रावास खाली कराने का कार्य अति शीघ्र सम्पन्न करायेगी। इस हेतु चीफ वार्डन कार्यालय से पत्र निर्गत किया जायेगा।
- 9 छात्रावासों एवं विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन कायम रखने, छात्रावास के वार्डन, चीफ वार्डन, प्रोक्टर एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता के साथ अनावश्यक रूप से छात्रों एवं उनके साथ आये हुए अन्य छात्रों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा अभद्रता एवं अनुशासनहीनता की घटनाओं को दृष्टिगत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सहा0 वार्डन, वार्डन, चीफ वार्डन, प्रोक्टर तथा डी0एस0डब्ल्यू यदि ऐसी घटना का लिखित संज्ञान लेकर अमुक छात्र/छात्रा के बारे में सूचित करते हैं तो ऐसे छात्र/बाहरी छात्र के विरुद्ध सीधे सख्त अनुशासनीक कार्यवाही की जायेगी, यथा छात्र को छात्रावास से निष्कासित करना, पाठ्यक्रम से प्रवेश का निरस्तीकरण, विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित, और आवश्यक हुआ तो कानूनी/पुलिस कार्यवाही की जायेगी। उक्त पुलिस/कानूनी कार्यवाही करने में समस्त खर्चा/व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगी।

(ई0 मनोज कुमार) अवर अभियन्ता
(ई0 अंकित सिसोदिया) सहा0 वार्डन
(ई0 अमित कुमार पूनिया) सहा0 वार्डन
(ई0 लक्ष्मी शंकर सिंह) सहा0 वार्डन
(ई0 डी0पी0 सिंह) सहा0 वार्डन
(डा0 अर्चना त्रिवेदी) सहा0 वार्डन
(डा0 नाजिया तरन्नुम) सहा0 वार्डन
(डा0 अल्पना अग्रवाल) सहा0 वार्डन
(ई0 प्रवीण कुमार) वार्डन
(डा0 दुष्यन्त कुमार चौहान) वार्डन
(डा0 यशवेन्द्र वर्मा) वार्डन
(प्रो0 अशोक शर्मा) वार्डन
(प्रो0 पी0के0 शर्मा) 12.9.18
चीफ वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(प्रोक्टर)

(डी0एस0 डब्ल्यू)

माननीय कुलपति जी

12/9/18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 06.10.2018 को साय: 3:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

1. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
3. प्रो० भूपेन्द्र सिंह	कुलानुशासक
4. प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डॉ० आर० के० सिंह छात्रावास
5. डा० वीरपाल सिंह	सहा० कुलानुशासक एवं सहा० वार्डन,
6. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक
7. डा० डी०के० चौहान	वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक
8. कर्नल (रिटा०) अनिल कुमार	प्रशासनिक अधिकारी
9. डा० सचिन कुमार	सहा० कुलानुशासक
10. डा० डी० प्रताप	सहा० कुलानुशासक
11. डा० मनोज श्रीवास्तव	पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
12. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
13. डॉ० नीलू जैन गुप्ता	सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठाती

कल दिनांक: 05.10.2018 की रात्रि में लगभग 11:00 बजे बी०जे०एम०सी० प्रथम वर्ष के छात्र श्री दीपक यादव (कक्ष संख्या- 71 डा० के०पी० छात्रावास) के साथ की गई मार-पीट के प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि घटना के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय अधिकारी एवं पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी। उस समय दीपक यादव एवं बड़ी संख्या में कुछ छात्र/बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय के विरुद्ध नारेबाजी एवं हंगामा कर रहे थे।

उक्त घटना कि सी०सी०टी०वी० फुटेज निकलवाकर देखी गई जिसमें छात्रावास से इतर बाहरी छात्र/व्यक्ति अन्दर जाते एवं बाहर आते हुए दिखाई दे रहे है।

यदपि रात्रि में श्री दीपक यादव ने इस घटना के सम्बन्ध में जो एक शिकायती पत्र दिया था उसमें किसी भी नाम का उल्लेख नहीं है। उक्त शिकायती पत्र को चीफ वार्डन द्वारा थाना प्रभारी, मैडिकल कॉलेज को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा चुका है। परन्तु आज दिनांक 06.10.2018 को अपराहन छात्र श्री दीपक यादव ने वार्डन, डॉ० के०पी० छात्रावास को उक्त घटना से सम्बंधित छात्रों के नाम बताते हुए किशन सिंह, बी०टैक ई०सी० तृतीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक,सी०एस०, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड़, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई० तृतीय वर्ष, परितोष त्यागी, बी०टैक ए०जी० तृतीय वर्ष, आदित्य विक्रम, बी०टैक आई०टी० तृतीय वर्ष, पर उसके साथ रैगिंग तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है।


सी०सी०टी०वी० फुटेज के अवलोकन एवं मौके पर पहुँचे विश्वविद्यालय अधिकारियों के स्थलीय संज्ञान के आधार पर उक्त प्रकरण के विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- 1 श्री दीपक यादव द्वारा दिये गये किशन सिंह, बी०टैक ई०सी० तृतीय वर्ष, सक्षम श्रीवास्तव, बी०टैक, तृतीय वर्ष, सुबोध तोगड़, बी०जे०एम०सी०, द्वितीय वर्ष, राहुल गौतम, बी०टैक, एम०ई० तृतीय वर्ष, परितोष त्यागी, बी०टैक ए०जी० तृतीय वर्ष, अदित्य विक्रम, बी०टैक आई०टी० तृतीय


(Handwritten signatures and initials)

वर्ष, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनसे तीन दिन के अर्न्तगत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि अनुशासनहीनता एवं छात्रावास का माहौल खराब करने में संलिप्त होने के कारण क्यों न उनको निष्काषित कर दिया जायें। साथ ही इस प्रकरण को उक्त दिन हेतु निर्धारित रेगिंग समिति अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाए।



(डॉ० प्रवीन कुमार)
वार्डन



(डा० मनोज श्रीवास्तव)
सहयुक्त आचार्य



(डॉ० डी० प्रताप)
सहा० कुलानुशासक


(डॉ० सचिन कुमार)
सहा० कुलानुशासक



(कर्नल (रिटायर्ड) अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी



(डॉ० डी०के० चौहान)
वार्डन



(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन



(डॉ० नीलू जैन गुप्ता)
सहा० छात्र कल्याण अधिष्ठात्री


(प्रो० शीशा सिंह)
सहा० कुलानुशासक


(प्रो० मूपेन्द्र सिंह)
कुलानुशासक


(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन


(प्रो० ए०के० चौहान)
वार्डन



(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन


(डा० कल्याण अधिष्ठात्री)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



(माननीय कुलपति जी)


06.10.



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
बैठक का कार्यवृत्त


आज दिनांक 02-11-2018 को चीफ वार्डन कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी जिसमें निम्नांकित उपस्थित रहे।

1. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
3. प्रो० प्रतिभा त्यागी	वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
4. प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
5. प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास
6. प्रो० आराधना	वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
7. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
8. डा० डी०के० चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
9. डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
10. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
11. ई० डी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास

बैठक में छात्रावासों के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

01. प्रत्येक छात्रावास पर 24x7 दो सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए।
02. प्रत्येक छात्रावास प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी द्वारा आवासीय छात्रों तथा आगन्तुकों के आवागमन का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाना सुनिश्चित हो।
03. यदि कोई छात्र अथवा आगन्तुक बिन्दु 02 का पालन करने में आनाकानी/अवहेलना करता है तो तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी सूचना लिखित रूप में वार्डन को दी जाए।
04. यदि छात्रावास में कोई झगड़ा-फसाद अथवा अन्य कोई अप्रिय घटना होती है तो सुरक्षा कर्मी तत्काल अपने सुरक्षा अधिकारियों, वार्डन, अथवा चीफ वार्डन को सूचित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार डायल 100 पर भी सूचना प्रेषित करें।
05. सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्रावास का मुख्य प्रवेश द्वार नियमानुसार (निर्धारित समयानुसार) बन्द रखा जायें।
06. सुरक्षागार्डों की ड्यूटी/पाली परिवर्तन के समय पोस्ट खाली न छोड़ी जाये अर्थात् पूर्व पाली के सुरक्षाकर्मी तभी पोस्ट छोड़ेंगे जब नई पाली के सुरक्षाकर्मी का पोस्ट पर आगमन हो जायेगा।
07. दोनो सुरक्षाकर्मियों में से एक सुरक्षाकर्मी समय-समय पर छात्रावास भवन के अन्दर व बाहर गश्त अवश्य करता रहें।
08. यदि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद छात्रावास भवन में तोड़फोड़/चोरी की घटना होती है तो वहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मियों अथवा सुरक्षा एजेंसी का उत्तरदायित्व निश्चित किया जायें।
09. उपरोक्त में से किसी भी बिन्दु का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित वार्डन प्रॉक्टर एवं विश्वविद्यालय सुरक्षा अधिकारी तथा चीफ वार्डन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करायेगें।


10. विश्वविद्यालय के प्रोक्टर एवं सुरक्षाधिकारी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही एवं पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


(ई० डी०पी० सिंह)
सहा० वार्डन



(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन


(डा० अल्पना अग्रवाल)
सहा० वार्डन



(डा० डी०के० चौहान)
वार्डन


(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन


(प्रो० आराधना)
वार्डन


(प्रो० अतवीर सिंह)
वार्डन



(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन


(प्रो० प्रतिभा स्यागी)
वार्डन

(प्रो० ए०के० चौबे)
वार्डन


(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।


गाननीय कुलपति जी

20.11.18



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
बैठक का कार्यवृत्त


आज दिनांक: 21-06-2019 को साय: 3:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।


1. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
3. प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
4. प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
5. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
6. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
7. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
8. डा० अर्चना त्रिवेदी	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी छात्रावास
9. ई० अंकित सिसोदिया	सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
10. ई० अमित कुमार पुनिया	सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
11. श्री विकास त्यागी	विश्वविद्यालय अभियन्ता

बैठक में छात्रावासों के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।


1. छात्रावासों में पीने के पानी के लिए R.O. Water का मिनी प्लान्ट लगाया जाए जो centralized हो और सभी छात्रावासों में एक जैसा हो।
2. प्रत्येक छात्रावास के लिए Water Harvesting System बनवाया जाए, जिससे वर्षा, आदि के पानी का समुचित रख-रखाव एवं संचयन हो सके।
3. सभी छात्रावासों में कक्षों के अन्दर पुताई का कार्य प्रत्येक तीसरे वर्ष, बाहर की पुताई का कार्य प्रत्येक पाँचवें वर्ष तथा मैस हॉल व किचन की पुताई प्रति वर्ष कराई जाए।
4. छात्रावासों में लगे बिजली के बोर्डों का कन्ट्रोल एक जगह केन्द्रीकृत और covered होना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रखा जाए कि कक्ष एवं बाथरूम व टायलेट की सप्लाई निरन्तर बनी रहे।
5. सभी छात्रावासों में अग्निशमन यन्त्र अथवा फायर सिस्टम की समुचित व्यवस्था की जाए।
6. सभी छात्रावासों के मैस किचन में इलैक्ट्रिक चिमनी लगाई जाए।
7. सभी छात्रावासों की छतों की मरम्मत कराई जाए और छतों की मुन्डेर/पेरापिट आवश्यकतानुसार ऊँची की जाए।
8. सभी छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष के लिए एक-एक छोटी डस्टबिन (प्लास्टिक की छोटी बाल्टी) उपलब्ध कराई जाए।


9. सभी छात्रावासों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाये। सम्बन्धित वार्डन चीफ वार्डन से परामर्श करके सी0सी0टी0वी0 कैमरों की आवश्यकता एवं लगाये जाने के स्थान का निर्धारण करेंगे।
10. डा0 बी0आर0 अम्बेडकर छात्रावास के पूरे फ्लोर पर कोटा पत्थर लगाया जाये। छात्रावास के मैस कर्मचारियों के रहने के लिये छात्रावास के पीछे टीन शेड डालकर व्यवस्था की जाए।
11. वर्तमान में लागू छात्रावास पुस्तिका (Hostel Brochure) में वांछित संशोधन के साथ आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर छात्रावास/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
12. "विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित निविदा शर्तें 2018-19" के बिन्दु संख्या-10 के क्रम में सत्र 2019-20 हेतु मैस संचालन पर विचार विमर्श किया गया। सभी छात्रावास अधीक्षकों ने गत सत्र 2018-19 हेतु मैस संचालन करने वाले ठेकेदारों की सेवाएं संतोषजनक बताईं। अतः उक्त ठेकेदारों से ही, यदि वे सत्र 2018-19 में लागू दरों एवं शर्तों पर मैस संचालन हेतु सहमत हों, सत्र 2019-20 में मैस संचालन कराने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में सभी ठेकेदार सम्बन्धित वार्डन से मैस संचालन की संतोषजनक सेवा का प्रमाण व उपरोक्तानुसार मैस संचालन करने का सहमति पत्र चीफ वार्डन को प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी सत्र 2019-20 में उक्त ठेकेदारों को मैस संचालन के विस्तारण की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
13. डा0 बी0आर0 अम्बेडकर छात्रावास के मैस संचालन का कार्य वार्ता करके वी0एस0एम0पी0 छात्रावास और/अथवा पं0 दीन दयान उपाध्याय छात्रावास के मैस संचालकों द्वारा कराया जायेगा।



(विकास त्यागी)
विश्वविद्यालय अभियन्ता


(ई0 अमित कुमार पुनीया)
सहा0 वार्डन



(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन



(प्रो0 ए0के0 चौधरी)
वार्डन 21/06/2019



(डा0 अर्चना त्रिवेदी)
सहा0 वार्डन



(ई0 प्रवीन कुमार)
वार्डन 21/6/19


(प्रो0 दिनेश कुमार)
वार्डन 21.6.19


(प्रो0 पी0के0 शर्मा)
चीफ वार्डन 21.6.19



(ई0 अंकित सिसोदिया)
सहा0 वार्डन


(डा0 डी0के0 चौहान)
वार्डन


(प्रो0 अतवीर सिंह)
वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।


(वित्त अधिकारी जी) 24/7/19


गंगधारी कुलपति जी

2

04.7.19

Copy to all Wardens, Finance Officer and Univ. Engineer for necessary action please. Pkl 04.5.19 CHIEF WARDEN CCS University



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

o/c

The name of degree programs whose students are to be allotted to specific Boys Hostel.

S.No.	Course	Estimated No. of Students	Hostel Name
1	B.Tech. Ist yr. + B.Tech. II yr. Lateral Entry	240-250	Pt. Deen Dayal Upadhyay Boys' Hostel
2	B.Tech. II year	220-230	Dr. Kailash Prakash Boys' Hostel
3	B.Tech. III year	190-200	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Boys' Hostel
4	First year of All U.G./ P.G. of Traditional Courses	140-160	Dr. R.K. Singh Boys' Hostel
5	Second year/Seniors of All U.G./ P.G. of Traditional Courses and B.Tech. IV Year	200	Veer Shiromani Maharana Pratap Boy's Hostel

Note: Allocation of students of different degree programs to both the girls hostels will remain as such as it was in last session 2018-19.

Circulate to
all hostels,
Proctor and DSW.

PKC
24.7.19

Self
18.7.19
(Er. Pravin Kumar)
Warden
Dr. A.P.J.A.K. Hostel

Y. Verma
(Dr. Yeshvendra Verma)
Warden
V.S.M.P. Hostel

Chauhan
18.7.19
(Dr. D.K. Chauhan)
Warden
Dr. K.P. Hostel

Chaubey
18/07/2019
(Prof. A.K. Chaubey)
Warden
Pt. D.D.U. Hostel

PKC
18.7.19
(Prof. P.K. Sharma)
Chief Warden

Submitted for kind perusal & approval

(V.C.)
22/7/19



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 29-08-2019 को साय: 3:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

1. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
3. प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
4. प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
5. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
6. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
7. डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
8. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
9. ई० डी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
10. ई० अंकित सिसोदिया	सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
11. ई० अमित कुमार पुनिया	सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
12. डा० सी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास

बैठक में छात्रावासों के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें एम०एस०सी० के चतुर्थ/अन्तिम समेस्टर एवं एम०एस०सी० के छठे/अन्तिम समेस्टर में सम्पूर्ण थीसिस अथवा प्रोजेक्ट का कार्य ही होता है और वे छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो उनको केवल तृतीय/पाँचवे समेस्टर के लिए ही छात्रावास अनुमत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में छात्र/छात्राएँ छात्रावास की पूर्ण फीस तथा मैस की आधे सत्र की फीस जमा कर सकेंगे। ऐसे विकल्प का प्रावधान भविष्य में छात्रावास की ऑनलाइन पोर्टल पर ही समाहित कर लिया जाए।
2. यदि किसी छात्रावास में सीटें भर जाती हैं और उस छात्रावास में आबंटन हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के छात्रावास आवेदन आबंटन हेतु उपलब्ध है अथवा प्राप्त होते हैं, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को यदि वे वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठ छात्रों वाले अन्य छात्रावास में, अथवा यदि वे प्रथम वर्ष के हैं तो प्रथम वर्षीय छात्र/छात्राओं के अन्य छात्रावास अथवा वरिष्ठ छात्रावास में आबंटित किये जा सकते हैं। बशर्ते उस छात्रावास में खाली सीटें उपलब्ध हों। ऐसे प्रकरणों में छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक (चीफ वार्डन) अधिकृत होंगे।
3. वर्तमान में सभी पुरुष/महिला छात्रावासों में या तो समस्त सीटें भर गयी हैं अथवा यदि छुट-पुट सीटें किसी छात्रावास में खाली हैं तो उनमें पहले ही अधिक संख्या में छात्रावास आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ओर काफी छात्र/छात्राएँ छात्रावास आबंटन हेतु सम्पर्क कर रहे हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि यदि छात्र/छात्राएँ आपस में

Shodis

Am

Am

Am

Am

Am

Am


Am


Am


वार्ता कर एक कक्ष में तीन छात्र/छात्राएँ रहने हेतु सहमत है तो सम्बन्धित वार्डन तीसरे छात्र/छात्रा का आबंटन निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कराकर उक्त कक्ष में कर सकते हैं। यदि बाद में उसी छात्रावास अथवा अन्य छात्रावास का कोई आबंटित छात्र/छात्रा छात्रावास छोड़कर जाता है तो उसके स्थान पर कक्ष में उपरोक्तवत् आबंटित तीसरे छात्र/छात्रा को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।


4. डा0 बी0आर0 अम्बेडकर छात्रावास में सीटों की कमी के कारण एम0फिल0 के छात्रों को अम्बेडकर छात्रावास के अतिरिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय वर्ष/वरिष्ठ छात्र/छात्राओं वाले छात्रावास में भी आबंटित किया जा सकता है।
5. संज्ञान लिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अनुदान से एक छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया है। परन्तु विश्वविद्यालय अगियन्ता द्वारा उस निर्माणाधीन छात्रावास की आवासीय क्षमता अधिकतम 30 छात्र ही बताई गई है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय परिसर में नये पाठ्यक्रमों के शुरू होने एवं वर्तमान छात्रावासों की क्षमता से अधिक माँग होने के दृष्टिगत समिति सर्वसम्मति से संस्तुति करती है कि उपरोक्त निर्माणाधीन छात्रावास का विस्तार करके उसे 200 छात्र आवासीय क्षमता (100 कक्ष) का बनवाया जाए। जिसमें: मैस. हॉल, टी0वी0 हॉल, सामान्य अध्ययन कक्ष, आदि की समुचित सुविधा हो। इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त धन का खर्चा विश्वविद्यालय अपने स्वयं के श्रोतों से करने पर विचार कर सकता है।
6. कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष रूप से आर्थिक दुर्बलता के प्रकरणों में मैस का शुल्क दो किशतों में जमा करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में विभागाध्यक्ष अथवा/तथा छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति पर चीफ वार्डन अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे। परन्तु ऐसे प्रकरणों में मैस की दूसरी किशत अधिकतम 30 नवम्बर तक जमा करनी होगी।
7. छात्रावास नियम 3.1 (c) के अनुसार छात्रावास केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को आबंटित किया जाएगा जो 30 कि०मी० से अधिक दूरी के निवासी हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकारों के नियमानुसार वर्णित दिव्यांग छात्र/छात्राओं के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी तथा विशेष परिस्थितियों में छात्राओं के मामले में इस दूरी/शर्त को चीफ वार्डन की अनुमति से कम किया जा सकता है।


(डा० सी०पी० सिंह)
सहा० वार्डन



(ई० अमित कुमार पुनिया)
सहा० वार्डन



(ई० अंकित सिसोदिया)
सहा० वार्डन


(ई० डी०पी० सिंह)
सहा० वार्डन


(ई० प्रवीण कुमार)
वार्डन
NA



(डा० अल्पना अग्रवाल)
सहा० वार्डन
NA


(डा० डी०के० चौहान)
वार्डन


(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

(प्रो० अतवीर सिंह)
वार्डन

(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन


(प्रो० ए०के० चौहान)
वार्डन


(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन

NA - Not available

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

F.O.
To examine 'A'

माननीय कुलपति जी

M/3.9.19



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

बैठक का कार्यवृत्त


कल दिनांक: 01.9.2019 को शाम 6:00 बजे समिति कक्ष में मा० कुलपति जी की अध्यक्षता में एक आवश्यक-बैठक आहुत की गई, जिसमें प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों, तथा SCRIET के ब्रॉन्च समन्वयकों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपस्थित रहें।

01.	प्रो० एन०के० तनेजा	कुलपति
02.	प्रो० वाई० विमला	प्रति कुलपति
03.	प्रो० जयमाला	संकायाध्यक्ष व निदेशक SCRIET
04.	प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
05.	प्रो० जितेन्द्र कुमार	छात्र कल्याण अधिष्ठाता
06.	प्रो० बीर पाल सिंह	कुलानुशासक
07.	प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास
08.	प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
09.	डा० राजीव सिजेरिया	उप० निदेशक, SCRIET
10.	डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
11.	डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
12.	ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, ए०पी०ज० अब्दुल कलाम छात्रावास
13.	ई० अंकित सिसोदिया	सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास


बैठक में दिनांक 31.8.2019 तथा 01.9.2019 की मध्य रात्रि में विश्वविद्यालय के डा० के०पी० छात्रावास में श्री प्रान्शु सिंह, बी०टेके० (ई०सी०) द्वितीय वर्ष, कक्ष संख्या 112(B) के कथित जन्म दिन के नाम पर हुई अनुशासनहीनता की घटना पर गहनता से विचार विमर्श किया गया।

उक्त रात्रि में बड़ी संख्या में छात्रों ने श्री प्रान्शु सिंह के साथ मिलकर छात्रावास के मैस के सामने टेरेस पर नाच-गाना, शोर-शराबा और एक-दूसरे पर खाने की वस्तुएँ फेंकना, टेबल को उठाकर फेंकना, वार्डन के पहुँचने पर उनके समझाने/डॉटने पर उनके साथ अभद्रता करना, धक्का मुक्की करना और उनके सामने रखी मेज को जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंक देना/ ^{इत्यादि किया।} तत्पश्चात् बड़े समूह में कुलपति आवास पर जाकर नारेबाजी एवं हंगामा करना, आदि। जिस कारण घटना स्थल पर जिला पुलिस, प्रोक्टर, चीफ वार्डन, आदि अधिकारियों ने पहुँचकर उन्हें समझाने का प्रयास करने के बावजूद भी लगभग 01 घन्टे तक कुलपति आवास के सामने वार्डन को हटाने की माँग की व नारे बाजी तथा हंगामा करते रहना शामिल है। छात्रावास में हुई इस घटना की सी०सी०टी०वी० फुटेज का भी संज्ञान लिया गया।


छात्रों के उपरोक्त कृत्य की बैठक में सर्वसम्मति से निन्दा की गयी और ऐसे छात्रों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण माँगने व उन पर सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों।




(ई० अंकित सिसोदिया)
सहा० वार्डन




(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन



(डा० डी०के० चौहान)
वार्डन




(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन




(डा० राजीव सिसौरिया)
उप० निदेशक, SCRIET

NA
(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन


NA
(प्रो० अतवीर सिंह)
वार्डन




(प्रो० बीर पाल सिंह)
कुलानुशासक




(प्रो० जितेंद्र कुमार)
छात्र कल्याण अधिष्ठाता



(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन




(प्रो० जयमाला)
संकायाध्यक्ष व निदेशक SCRIET



(प्रो० वाई विमला)
प्रति कुलपति

NA : Not available

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



प्रो० एन०के० तनेजा
माननीय कुलपति जी



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

10/18/2383
09/10/19

बैठक का कार्यवृत्त

विषय:- दुर्गा भाभी महिला छात्रावास में अनाधिकृत अध्यासिनी पूर्व छात्रा कु० शाबिस्ता खान का सामान प्राप्त कराने के सम्बन्ध में।

कु० शाबिस्ता खान का पत्र दिनांक: 08.08.2019 जो कि दिनांक 02.04.2019 को कथित रूप से उसकी अनुपस्थिति में दुर्गा भाभी छात्रावास में उसके कमरे, F-2 का ताला तोड़कर उसका कुछ सामान कथित रूप से जब्त करने एवं सामान वापस करने के सम्बन्ध में है, का एवं अन्य पत्र दिनांक 29.05.2019, 10.07.2019 तथा 20.08.2019 समुचित संज्ञान लिया गया।

उल्लेखनीय है कि कु० शाबिस्ता खान दुर्गा भाभी महिला छात्रावास में पिछले एक वर्ष से अनाधिकृत रूप से रह रही थी। साथ ही बिना भुगतान किये मैस में खाना भी खा रही थी। फलस्वरूप उस पर मैस का रू० 44,350/- का देयक भी बनता है (संलग्नक-1)। जिसका उसके द्वारा आज तक भी भुगतान नहीं किया गया है। वार्डन द्वारा बार-बार मौखिक एवं लिखित सूचना (संलग्नक-2A to 2C) दिए जाने के बावजूद भी वह छात्रावास खाली नहीं कर रही थी। जिससे छात्रावास की अन्य छात्राओं पर भी कुप्रभाव पड़ रहा था तथा छात्रावास का माहौल भी खराब हो रहा था। अतः छात्रावास खाली कराने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के सदस्यों, छात्रावास के समस्त कर्मचारियों व महिला गार्ड्स एवं स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में दिनांक 02.04.2019 को शाबिस्ता खान (जो कि विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग/विषय में पंजीकृत नहीं थी) के कक्ष संख्या F-2 का ताला तोड़कर/समस्त सामान को बोरों में सील पैक कराकर सुरक्षित रख दिया गया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई थी।

उल्लेखनीय है कि अनाधिकृत अध्यासिनी होने के बावजूद भी उक्त पूर्व छात्रा ने दिनांक 02.04.2019 को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही में अवरोध भी उत्पन्न किया व अभद्रता भी की (संलग्नक-3)। परन्तु उसी दिन दिनांक 02.04.2019 को दुर्गा भाभी महिला छात्रावास में दो अन्य अनाधिकृत अध्यासिनियों कु० मीना पटेल व कु० अनीता मीणा के भी कक्ष खाली कराए गये थे। तब कु० अनीता मीणा अपना सामान तभी लेकर चली गई थी। मीना पटेल (समाजशास्त्र विभाग) अपना सामान चार दिन बाद दिनांक 06.04.2019 को आकर ले गई। यदि अनाधिकृत अध्यासिनी शाबिस्ता खान चाहती तो वह भी उसी समय या बाद में अपना सामान ले जा सकती थी। परन्तु ऐसा करने के बजाय छात्रावास में वापस अवैध रूप से रहने की नियत से कु० शाबिस्ता खान विश्वविद्यालय अधिकारियों से भौंति-भौंति की बहाने बाजी/आरोप-प्रत्यारोप करके अपने सामान को लगभग चार माह तक नहीं ले गई और एक बार तो विश्वविद्यालय अधिकारियों से अपना सामान ले जाने की तिथि (25.7.2019) निर्धारित कराकर सामान लेने नहीं आई और न ही इसकी कोई पूर्व सूचना दी (संलग्नक-4)। इसके साथ-साथ छात्रावास में मैट्रन पद पर नियुक्ति हेतु भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगातार दबाव बनाती रही। कु० शाबिस्ता खान की इस तरीके की माँग एवं आचरण विधि/न्याय संगत नहीं था।

NT
Archan

ti

Bar

me
03-10-19
Bansal
03/10/2019

A

जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त अवैध/अनाधिकृत अध्यासिनी कु0 शाबिस्ता खान को लिखित एवं दूरभाष के द्वारा छात्रावास से अपना सामान ले जाने के लिए बार-बार सूचित करता रहा (संलग्नक-5)। फलस्वरूप लगभग चार माह पश्चात दिनांक 07.08.2019 को कु0 शाबिस्ता खान अपना सामान सुरक्षित रूप से प्राप्त करके ले गई, जिसकी प्राप्ति भी संलग्न (संलग्नक-6 व 7) है। जहाँ तक कु0 शाबिस्ता खान द्वारा वापस दिये गए सामान में कथित रूप से दीवार घड़ी एवं प्लास्टिक की बाल्टी में टूट-फूट होने का जिक्र किया गया है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह कथित टूट-फूट (घड़ी व प्लास्टिक की बाल्टी) सामान को छात्रावास से अपने घर तक ले जाते वक्त भी हो सकती है, क्योंकि छात्रावास में रखे हुए सामान में टूट-फूट की सम्भावना नगण्य है। साथ ही उपरोक्त परिस्थितियों में उसका यह कहना कि उसके सामान से 8 GB व 16 GB की दो पैन ड्राइव, रू0 7000/-, दो बैडशीट, एक एकटैशन बोर्ड तथा एक चैक की शर्ट जब्त की गई है, सर्वथा असत्य, अनुचित एवं अस्वीकार्य कथन है। समस्त सामान ज्यों-का-त्यों सील बन्द समिति सदस्य गण, आदि से हस्ताक्षरयुक्त वापस प्राप्त करा दिया गया था। प्राप्ति का प्रमाण संलग्नक हैं (संलग्नक-6 व 7)।

सम्भवतः शाबिस्ता खान स्वयं पर छात्रावास की बकाया धनराशि का भुगतान न देने, छात्रावास में अवैध कब्जा करने तथा छात्रावास में मैट्रन के पद पर दबाव बनाकर नियुक्ति कराने के लिए ही बार-बार इस तरह के शिकायती पत्र प्रेषित कर रही है। अतः उपर्युक्त विवरण के आलोक में कु0 शाबिस्ता खान की समस्त शिकायते बलहीन एवं निराधार हैं तथा संज्ञान लेने योग्य नहीं हैं।

Abhena
03/10/19
(डा0 अर्चना त्रिवेदी)
सहा0 वार्डन

Nazia Tarannum
3/10/19
(डा0 नाजिया तरनुम)
सहा0 वार्डन

Rinaelham
03/10/2019
(प्रो0 आराधना)
वार्डन

Pms
03/10/2019
(प्रो0 बीर पाल सिंह)
कुलानुशासक

Prel
03.10.19
(प्रो0 पी0के0 शर्मा)
चीफ वार्डन

M
3/10/19
(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)
छात्र कल्याण अधिष्ठाता

Jw
3-10-19
(प्रो0 जयमाला)
समन्वयक, महिला प्रकोष्ठ

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

M
माननीय कुलपति जी 05/10/19



25/10/2019

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 22-10-2019 को पूर्वाह्न: 12:30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

1. प्रो० पी०के० शर्मा	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० जितेन्द्र कुमार	छात्र कल्याण अधिष्ठाता
3. प्रो० बीर पाल सिंह	कुलानुशासक
4. प्रो० ए०के० चौबे	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
5. प्रो० अतवीर सिंह	वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
6. प्रो० अराधना	वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
7. प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
8. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
9. डा० डी०के० चौहान	वार्डन, डा० कैलाश प्रकाश छात्रावास
10. डा० अल्पना अग्रवाल	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
11. डा० संजय कुमार	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
12. डा० नाजिया तरन्नुम	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
13. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
14. ई० डी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
15. डा० अर्चना त्रिवेदी	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला

प्रकरण-1:

दिनांक: 17.10.2019 को मा० कुलपति जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय (पत्रांक: पी०ए०/2039, दिनांक: 21.10.2019) के अनुपालन में डा० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास के अधीक्षक प्रो० अतवीर सिंह के पत्रों दिनांक: 05.10.2019 एवं 18.10.2019 एवं चारों छात्रों/पूर्व छात्रों/व्यक्तियों के आवेदन पत्रों का संज्ञान लिया गया जिनमें निम्नलिखित छात्रावास अधीक्षक द्वारा आबंटित चारों छात्रों/व्यक्तियों का विवरण निम्नवत् है।

01. श्री अतुल कुमार— इनको कक्ष संख्या—08 आबंटित है। परन्तु वर्तमान में ये विश्वविद्यालय परिसर के छात्र नहीं हैं। इन्होंने छात्रावास अनाधिकृत रूप से पंजीकरण कराया है और इनका आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र द्वारा “Preparing for synopsis to approve in the upcoming RDC” कथन के साथ अग्रसारित है। इनका छात्रावास शुल्क जमा करने हेतु वार्डन द्वारा दिनांक: 13.08.2019 को अनुमत किया गया है व पूर्ण शुल्क जमा है। इनका आवेदन चीफ वार्डन अथवा मा० कुलपति जी द्वारा आबंटन हेतु अनुमत नहीं है। परन्तु छात्रावास अधीक्षक द्वारा इनको कक्ष आबंटन किया गया है जो कि छात्रावास नियमों के अनुरूप नहीं है।

02. श्री अनमोल— इनको कक्ष संख्या—25 आबंटित है। परन्तु वर्तमान में ये विश्वविद्यालय परिसर के छात्र नहीं हैं। इन्होंने छात्रावास पंजीकरण अनाधिकृत रूप से कराया है और इनका आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र द्वारा “Preparing for synopsis for the upcoming RDC” कथन के साथ अग्रसारित है। इनका छात्रावास शुल्क जमा करने हेतु वार्डन द्वारा दिनांक: 09.08.2019 को

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including dates like 23-10-19, 22/10/19, 23/10/19, and 22-10-19.

अनुमत किया गया है व पूर्ण शुल्क जमा है। इनका आवेदन चीफ वार्डन अथवा मा० कुलपति जी द्वारा आबंटन हेतु अनुमत नहीं है। परन्तु छात्रावास अधीक्षक द्वारा इनको कक्ष आबंटन किया गया है जो कि छात्रावास नियमों के अनुरूप नहीं है।

03. श्री दीपक कुमार तालान— इनको कक्ष संख्या—06 आबंटित है। परन्तु वर्तमान में ये विश्वविद्यालय परिसर के छात्र नहीं हैं और न ही किसी सरकारी संस्था के पी०डी०एफ० हैं। इन्होंने अनाधिकृत रूप से छात्रावास पंजीकरण कराया है और इनको आवेदन पत्र पर विभागाध्यक्ष—इतिहास द्वारा स्पष्ट लिखा हुआ है कि **“He applied for PDF under my supervision”** व हस्तलिखित आवेदन पर **“As per rule”** लिखकर अग्रसारित किया गया है। इसी हस्तलिखित पत्र पर कुलसचिव द्वारा वार्डन को केवल मार्क किया गया है न कि कोई अनुमोदन किया गया है। जबकि वार्डन ने अपने पत्र में कुलसचिव द्वारा संस्तुति किया गया बताया गया है। वार्डन के कथनानुसार चीफ वार्डन ने जिस हस्तलिखित आवेदन पर दो किरतों में शुल्क जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की है उस आवेदन में श्री तालान ने अपनी कक्षा अथवा पी०डी०एफ० का कोई उल्लेख नहीं किया है और अपने को छात्रावास आबंटन किया जाना सुनिश्चित बताया है। उसका यह पत्र भी विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित है। इनका आवेदन चीफ वार्डन अथवा मा० कुलपति जी द्वारा आबंटन हेतु अनुमत नहीं है। इनका छात्रावास शुल्क जमा करने हेतु वार्डन द्वारा दिनांक: 02.10.2019. को अनुमत किया गया है व बिना प्रतिभूति राशि के छात्रावास की पूरी व मैस का आधा शुल्क जमा है। परन्तु पी०डी०एफ० भी न होने के बावजूद पी०डी०एफ० मानकर छात्रावास अधीक्षक द्वारा इनको कक्ष आबंटन किया गया है जो कि छात्रावास नियमों के अनुरूप नहीं है।

04. श्री अभिजीत शर्मा— इनको कक्ष संख्या—21 आबंटित है। परन्तु वर्तमान में ये विश्वविद्यालय परिसर के छात्र नहीं हैं। इन्होंने छात्रावास पंजीकरण अनाधिकृत रूप से कराया है और इनका आवेदन पत्र अंग्रेजी विभाग के आचार्य प्रो० रविन्द्र कुमार द्वारा **“Mr. Abhijeet is pursuing Ph.D under the supervision of Dr. Jy. Yadav (Govt. Degree college, Gbd.) who is affiliated to the Dept. of English for research purpose. He may kindly be allotted hostel facility as per university rules.”** कथन के साथ अग्रसारित है। इनका छात्रावास शुल्क जमा करने हेतु वार्डन द्वारा दिनांक: 20.08.2019. को अनुमत किया गया है व छात्रावास व मैस का पूरा शुल्क जमा है। इनका आवेदन चीफ वार्डन अथवा मा० कुलपति जी द्वारा आबंटन हेतु अनुमत नहीं है। परन्तु छात्रावास अधीक्षक द्वारा इनको कक्ष आबंटन किया गया है जो कि छात्रावास नियमों के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त विवरण के आलोक में चारों छात्रों/पूर्व छात्रों/व्यक्तियों का आबंटन छात्रावास के नियमानुरूप नहीं पाया गया है। जबकि अपने पत्र में छात्रावास अधीक्षक का कथन है कि **“छात्रावास में किसी भी छात्र को अवैध रूप से कक्ष आबंटित नहीं किया गया है”**। छात्रावास के नियमों के आलोक में समस्त छात्रावास अधीक्षक का मत है कि डा० बी०आर अम्बेडकर छात्रावास में उपर्युक्त चारों छात्रों का आबंटन नियम विरुद्ध है। अतः वार्डन द्वारा तत्काल छात्रावास आबंटन निरस्त कर छात्रावास खाली कराने की कार्यवाही की जाए और उपर्युक्त चारों छात्रों का मैस का खर्चा काटकर शेष शुल्क की धनराशि वापिस कर दी जाए। कृत कार्यवाही से चीफ वार्डन, छात्रकल्याण अधिष्ठाता, कुलानुशासक व मा० कुलपति जी को अवगत कराया जाए।

[Handwritten signature]

② In reference to the comment of Warden—BRAH dated 24.10.19 on this proceeding and his letter dated 24.10.19 referred to me by the Hon'ble V.C. (available on this file), the other cases quoted by the Warden are not comparable to the cases given in this proceeding. All the four cases, as evident from the proceeding were discussed threadbare in the light of rules & documents and were decided unanimously by all other members.

प्रकरण-2:

डा0 कैलाश प्रकाश छात्रावास से वार्डन के पत्र दिनांक: 03.10.2019 द्वारा निष्कासित किये गये छात्र श्री रामाशीष यादव (उस समय कक्ष-59) श्री रवितोष यादव (उस समय कक्ष-34) दोनों बी0टेक0 (ई0सी0) द्वितीय वर्ष, की अपील दिनांक: शून्य तथा उस पर अंकित समन्वयक (ई0सी0) विभाग की समर्थन टिप्पणी तथा निदेशक, एस0सी0आर0आई0ई0टी0 संस्थान की टिप्पणी पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। छात्र हित में इस आशा के साथ कि भविष्य में ये छात्र किसी भी अनुशासनहीनता में संलिप्त नहीं पाये जाएँ। इन दोनों छात्रों को एक और अवसर देते हुए छात्रावास सुविधा बहाल कर दी जाए। सम्बन्धित वार्डन उक्त छात्रों को चेतावनी देते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

Submitted for your order please
PKL
01.11.19

Ascham
23/10/19
(डा0 अर्चना त्रिवेदी)
सहा0 वार्डन

[Signature]
23/10/19
(ई0 डी0पी0 सिंह)
सहा0 वार्डन

[Signature]
(ई0 प्रवीन कुमार)
वार्डन

Nazia Tarannum
23/10/19
(डा0 नाजिया तरनुम)
सहा0 वार्डन

[Signature]
23/10/19
(डा0 अल्पना अग्रवाल)
सहा0 वार्डन

[Signature]
(डा0 संजय कुमार)
सहा0 वार्डन

[Signature]
22.10.19
(डा0 डी0के0 चौहान)
वार्डन

[Signature]
(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

[Signature]
22.10.19
(डा0 दिनेश कुमार)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 अराधना)
वार्डन

(प्रो0 अतवीर सिंह)
वार्डन

[Signature]
(प्रो0 ए0के0 चौबे)
वार्डन

[Signature]
22/10/2019
(प्रो0 वीर प्रमल सिंह)
कुलानुशासक

[Signature]
22.10.19
(प्रो0 पी0के0 शर्मा)
चीफ वार्डन

[Signature]
22.10.19
(प्रो0 जितेन्द्र कुमार)
छात्र कल्याण अधिष्ठाता

माननीय कुलपति जी

प्रकरण 01, प्रो0 वी. आर. अशोक कुमार छात्रावास से निष्कासित होने पर इस प्रकरण में सम्बन्धित अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Hon'ble V.C.

① Hostile application forms & other relevant documents of the above mentioned persons under issue No. 2 above are enclosed for your kind perusal.

PKL
25.10.19

Chief Warden

[Signature]
24.10.2019

Proceedings Approved
PKL discuss
02.11.19
24.10.19

किसी भी छात्र का आवंटन निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस संदर्भ में उल्लिखित कुछ उक्त पत्र में अतिरिक्त रूप में आपकी आज्ञा लिखित रूप में अवगत प्रस्तुत कर रहा हूँ।



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

Minutes of Meeting of Wardens Held on 21.11.2020

The meeting was held in the office of Chief Warden in Department of Genetics and Plant Breeding. Following were present in the meeting:

1. Prof. Pradeep K. Sharma : Chief Warden
2. Prof. A.K. Chaubey : Warden, Pt. Deen Dayal Upadhyay Hostel
3. Prof. Aradhana : Warden, Durga Bhabhi Girls Hostel
4. Prof. Dinesh Kumar : Warden, Dr. R.K. Singh Hostel
5. Dr. Vijai Malik : Asstt. Warden, B. R. Ambedkar Hostel
6. Dr. Archana Trivedi : Asstt. Warden, Durga Bhabhi Girls Hostel
7. Shri. D.P. Singh : Asstt. Warden, Pt. Deen Dayal Upadhyay Hostel
8. Shri. Laxmi shankar : Asstt. Warden, Dr. A. P. J. Abdul Kalam Hostel
9. Shri. Ankit Sisodia : Asstt. Warden Dr. Dr. Kailash Prakash Hostel
10. Prof. Bhupendra Singh : DSW

In view of the U.P. Shashan letter No. संख्या-5453/सत्तर-3-2020-08(20)/2020, dated 17 November 2020 regarding the commencement of on-campus classes and extension of hostel facility to students of University campus, relevant issues were considered as follows:

1. Hostel facility shall be extended to bonafide students based on availability of rooms in each hostel. The existing rules of allotment already in force, and the conditions as specified below shall be followed.
2. Those who are desirous of getting hostel should submit their application through online mode, along with the following:
 - (i) Consent of student's parents in given format along with their Adhar Card.
 - (ii) Recommendation and information about the commencement date of classes from the respective Head/Coordinator of SFS courses or Director\Deputy Director\ Administrative Officer in case of SCRIET students.
 - (iii) Test report of COVID-19 from the trusted source—at least an antigen testing procedure.
3. Only one student shall be allotted to one room.
4. All COVID-19 precautions (thermal scanning, sanitization, social distancing, wearing of mask, etc.) should be followed strictly within hostel university premises.

Sisodia

SP

Malik

Archana

1

Pradeep

Chaubey

Aradhana

DK

Shankar

5. The incoming student has to undergo 14 days isolation, subject to certain limitations regarding the numbers of toilets, bathrooms, dining area in the hostels. Therefore, during the first fourteen days of hostel accommodation, all students shall have to be confined to their room/hostel only. The usage of food facility and toilet/bathroom facility should be arranged by each Warden such that as far as possible maximum precautions be complied with. During this period, students can attend online classes.
6. SCRIET campus is currently harbouring a temporary jail for COVID-19 suspects/patients. Therefore, it was decided that SCRIET students should not be allowed hostel facility till the institute is made free from temporary jail or till further order of the Hon'ble Vice Chancellor in this regard. However, the students of all other courses shall be eligible for seeking hostel facility as per availability of rooms.
7. Since, one room shall be occupied by one student and there shall be other COVID-19 precautions and maintenance related expenses, the hike in hostel rent and the mess charges may be considered by the Hon'ble Vice Chancellor.
8. Currently, the mess may be run by the same mess contractors. However, the hike in mess charges under COVID-19 situation may be considered as per prevision of hostel rules in regard to mess.
9. Since about five months have already elapsed in this session, the Hon'ble Vice Chancellor has directed to charge only six months charges of mess. However, the securities shall be deposited in full.
10. The university medical facilitators shall have to be playing a key role in maintaining the routine test/s and be vigilant on students' health in the light of Covid-19 and reporting the university system on a weekly basis. In addition to students, the free university medical facility shall be extended to chief warden, wardens, assistant wardens, hostel staff and mess staff.
11. The university security system shall be responsible for each and every non-allotted student's movement in the hostels and maintain the social distancing within hostel premises including Mess Hall and each room of the hostels.
12. If anybody is found COVID-19 Positive in any hostel, she/he will be immediately vacated/isolated from the hostel and further necessary precautionary measures shall be adopted by the University.

Shodha

2/2


V. K. K. K.
2


Ashwini

B. S. S. S.
B. S. S. S.
B. S. S. S.


13. All the Head/Coordinator/Directors should also be quite vigilant on the health of each concerned student and report to the university authorities (including concerned Hostels Wardens) on a weekly basis.


Above issues were discussed with Pro Vice Chancellor, Prof. Y Vimala, who also gave important inputs.


(Ankit Sisodia)
Asstt. Warden



(Laxmi Shankar)
Asstt. Warden


(D.P. Singh)
Asstt. Warden


(Archana Trivedi)
Asstt. Warden



(Vijai Malik)
Asstt. Warden


(Dinesh Kumar)
Warden


(Aradhana)
Warden

(A.K. Chaubey)
Warden


(P.K. Sharma)
Chief Warden


(Bhupendra Singh)
DSW

Submitted for kind perusal and approval

Room allotment may be done as proposed, however, mess facilities (rates, etc) need to be mentioned with procedural details.
He
(Pro. Vice chancellor) *all y 2020* (Vice Chancellor)

Copy forwarded to all Wardens
and Dean Students Welfare.


09.12.2020
CHIEF WARDEN
University
Veerut



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

बैठक का कार्यवृत्त


दिनांक: 01.11.2021 को माननीय कुलपति जी द्वारा गठित निम्नलिखित समिति की आज दिनांक: 12.11.2021 को मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग) में बैठक सम्पन्न हुई।


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. प्रो० हरे कृष्ण | संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी |
| 2. प्रो० जय माला | निदेशक, एस०सी०आर०आई०ई०टी |
| 3. प्रो० प्रदीप कुमार शर्मा | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 4. ई० प्रवीन कुमार | वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास |


बैठक में नवनिर्मित 16 कक्षों के ब्लॉक से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. समिति ने डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास के निकट नवनिर्मित 16 कक्षों के ब्लॉक के सम्बन्ध में यह पाया कि विश्वविद्यालय अभियन्ता की आख्यानुसार 16 कक्ष छात्रों के आबंटन योग्य तैयार हैं।
2. 16 कक्षों के इस नवनिर्मित ब्लॉक को डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास के निकट होने तथा कक्षों की संख्या कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि इस नवनिर्मित ब्लॉक को डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास से सम्बद्ध माना जाए।
3. प्रति कक्ष दो छात्र आबंटित किये जाएं। उक्त ब्लॉक में डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास के संमान ही उन्हीं कक्षाओं के छात्र आबंटित किये जाएं। परन्तु आवश्यकतानुसार मुख्य छात्रावास अधीक्षक की अनुमति से अन्य कक्षाओं के छात्र भी वहां आबंटित किये जा सकते हैं।
4. छात्रावास शुल्क, मैस शुल्क, छात्रावास सिक्योरिटी, मैस सिक्योरिटी तथा अन्य वित्तीय नियम वही रहेंगे जो डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास में लागू हैं अथवा होंगे।
5. उक्त छात्रों के भोजन की व्यवस्था डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास के मैस में ही रहेगी।


(ई० प्रवीन कुमार)
वार्डन


(प्रो० पी०के० शर्मा)
चीफ वार्डन


(प्रो० जय माला)
निदेशक,
एस०सी०आर०आई०ई०टी०


(प्रो० हरे कृष्ण)
संकायाध्यक्ष,
अभियांत्रिकी एवं तकनीकी

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय कुलपति जी


16.11.21.



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 30-11-2021 को साय: 4:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय (वनस्पति विज्ञान विभाग) में एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहें।

1. प्रो० रूप नारायण	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2. प्रो० बिन्दू शर्मा	वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
3. प्रो० विजय मलिक	सहा० वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
4. डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
5. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
6. डा० सरू कुमारी	वार्डन, दूर्गा भाभी महिला छात्रावास
7. ई० प्रवीन कुमार	वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
8. ई० डी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
9. डा० सी०पी० सिंह	सहा० वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
10. ई० लक्ष्मी शंकर सिंह	सहा० वार्डन, ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
11. डा० अर्चना त्रिवेदी	सहा० वार्डन, दूर्गा भाभी छात्रावास
12. डा० नाजिया तरन्नुम	सहा० वार्डन, दू०भा० महिला छात्रावास
13. ई० अंकित सिसोदिया	सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
14. ई० राहुल प्रकाश	सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास

बैठक में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

01. समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाएं अपने-अपने छात्रावास की 9:00 बजे रात्रि के पश्चात छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का रिकोर्ड/संख्या (Daily Hostel Strength Report) मुख्य छात्रावास अधीक्षक को प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे।
02. छात्रावास आबंटन हेतु फीस जमा करने का मैसेज/अनुमति मिलने के पश्चात 03 दिन के अन्दर फीस न जमा करने पर ऐसे छात्र/छात्राओं का मैसेज/अनुमति का निरस्तिकरण का प्रावधान छात्रावास पार्टल पर कराने का निर्णय लिया गया, जिससे कि प्रतिक्षारत विद्यार्थियों को आबंटन का अवसर प्रदान किया जा सके।
03. छात्रावास से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं का छात्रावास स्तर पर प्रतिदिन पूर्ण ब्योरा रखे जाने का निर्णय लिया गया।
04. सभी छात्रावासों में अलग-अलग प्रतिवर्ष वार्षिक समारोह छात्रावास स्तर पर (अपने छात्रावास-संबंधित महापुरुष की जयंती) मनाये जाने का निर्णय लिया गया।
05. छात्रावास में सभी छात्रों के मध्य Buddy System निर्माण करना एवं विवरण छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।
06. प्रतिदिन का Food Testing Report का रजिस्टर छात्रावास में मेन्टेन किया जाए।

Ch. Charan Singh

Saru


V. Malik


Sharma


Sharma


Sharma


07. छात्रावास में रोगी छात्र/छात्राओं का पूर्ण ब्योरा प्रतिदिन छात्रावास कार्यालय में रखा जाएं, साथ ही प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं।



(ई0 राहुल प्रकाश)
सहा0 वार्डन



(ई0 लक्ष्मी शंकर सिंह)
सहा0 वार्डन



(डा0 सरू कुमारी)
वार्डन


(प्रो0 बिन्दू शर्मा)
वार्डन



(ई0 अंकित सिसोदिया)
सहा0 वार्डन



(डा0 सी0पी0 सिंह)
सहा0 वार्डन


(डा0 दुष्यन्त कुमार यौहान)
वार्डन



(प्रो0 रूप नारायण)
चीफ वार्डन



(डा0 नाजिया तरन्नुम)
सहा0 वार्डन


(ई0 डी0पी0 सिंह)
सहा0 वार्डन


(डा0 यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन


(डा0 अर्चना त्रिवेदी)
सहा0 वार्डन


(ई0 प्रवीण कुमार)
वार्डन


(प्रो0 विजय मलिक)
सहा0 वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय कुलपति जी

13/12/21

Circulate among all wardens/Asstt. wardens


13/12/21



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
Chief Warden Office

UCC/25/214
28/2/22

Date 21-02-2022

Minutes of the Meeting

A meeting of wardens and Asstt. wardens was held in the office of the Chief Warden at 02:30 p.m. on Feb. 21, 2022, attended by the following members:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Prof. Roop Narayan | Chief Warden |
| 2. Prof. Dinesh Kumar | Warden, R. K. Singh Hostel |
| 3. Prof. J.S. Bhardwaj | Warden, Dr. B. R. Ambedkar Hostel |
| 4. Prof. Bindu Sharma | Warden, Rani Laxmi bai Girls Hostel |
| 5. Prof. Sanjay Kumar | Warden, Pdt. Deen Dayal Updhayay Hostel |
| 6. Prof. Alpana Agrawal | Astt. Warden, Rani Laxmi bai Girls Hostel |
| 7. Dr. Yeshvandra Verma | Warden, V.S.M.P. Hostel |
| 8. Dr. D. K. Chauhan | Warden, Kailash Prakash Hostel |
| 9. Dr. Nazia Farmanum | Astt. Warden, Durga Bhabhi Girls Hostel |
| 10. Dr. Sanjay Kumar | Astt. Warden, Dr. B. R. Ambedkar Hostel |
| 11. Er. Milind | Warden, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Hostel |
| 12. Er. Ankit Sisodiya | Astt. Warden, Kailash Prakash Hostel |
| 13. Er. Saurabh Gaur | Astt. Warden, Pdt. Deen Dayal Updhayay Hostel |
| 14. Er. Lakshmi Shankar Singh | Astt. Warden, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Hostel |
| 15. Dr. C.P. Singh Ms Neha Garg | Astt. Warden, Dr. R.K. Singh Hostel Durga Bhabhi GH |

The following decisions were taken unanimously after deliberations among the members:

- The requirements of the hostels be compiled and submitted to the FO for onward processing towards procurement latest by 24-02-2022 However, Dr. R.K Singh hostel's is requirements have been directly sent to FO duly approved by the VC.
- The infrastructural issues of the hostels also to be compiled and submitted to the University Engineer in a week's time.
- The following hostel activities were decided to be conducted and responsibilities were assigned as follows:

INTER HOSTEL COMPETITIONS

(A) Academic/communication skill

EVENTS	PARTICIPANTS	TIME for each participant (min.)	RESPONSIBILITY
ELOCUTION			
Hindi	2x8	3	Prof. Alpana Agarwal
English	2x8	3	Dr. D. K. Chauhan
DECLAMATION			
Hindi	2x8	4	Prof. Dinesh Kumar
English	2x8	4	Dr. C. P. Singh

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Anil', 'Dinesh', 'C.P. Singh', and others.

DEBATE		TIME for each participant (min.)	Prof. Sanjay Kumar Dr. Naziya Tarannum Ms. Neha Garg
Hindi	2x8	4 5	
English	2x8	4 5	
EXTEMPORE			Prof. Bindu Sharma <i>Bl</i> Er. Milind Divya Sharma
Hindi	2x8	4 3	
English	2x8	4 3	
QUIZ			Prof. J.S. Bhardwaj Dr. Saru Kumari Er. Lakshmi Shankar
Hindi	2x8	4	
English	2x8	4	

(B) GAMES AND SPORTS ACTIVITIES

(i) Team Games

	PARTICIPANTS From each Hostel	RESPONSIBILITY
BASKETBALL	10	Prof. Dinesh Kumar Dr. C. P. Singh
VOLLEYBALL	10	Dr. Yashvendra Verma Dr. D. K. Chauhan
BADMINTON	04	Prof. Bindu Sharma Er. Ankit Sisodia
KABADDI	10	Dr. Yashvendra Verma Dr. K. P. Singh Divya Sharma
KHO KHO	12	Prof. Roop Narayan Prof. Sanjay Kumar
TABLE TENNIS	04	Er. Ankit Sisodia Ms. Divya Sharma

(ii) ATHLETICS

Track events

EVENTS	PARTICIPANTS PER HOSTEL		RESPONSIBILITY
	Boys	Girls	
100m	2	3	Dr. Sanjay Kumar Er. Ankit Sisodiya Ms. Neha Garg
200m	2	3	
400m	2	3	
800m	2	3	
1500m	2	3	
4x100m Relay	4	4	
4x400m Relay	4	4	

Sisodia

Milind

Sanjay

Bindu

Ankit

Neha

MS

Field events


Long Jump	2	3	Er. Saurabh Gaur
High Jump	2	3	
Shot jump	2	3	
Throw	2	3	Er. Ankit Sisodiya
Javelin throw	2	3	
Discus throw	2	3	


(C) HOSTEL DISCIPLINE

- (i) Hostel Day – Celebration (on the occasion of birth anniversary of the great man, the hostel is named by) including Cultural Programme by the students.
- (ii) Hostel Lay Out & Hostel Discipline –
- Fees update of students,
 - Mess discipline
 - Hostel-rooms lay out,
 - Campus outlook,
 - Cases of disciplinary action against students



(Ms. Nehal Garg)


(Er. Lakshmi Shankar Singh)



(Er. Saurabh Gaur)


(Er. Ankit Sisodiya)



(Er. Milind)



(Dr. Sanjiv Kumar)



(Dr. Nazia Fannum)



(Dr. D. K. Chauhan)


(Dr. Yeshvendra Verma)



(Prof. Alpana Agrawal)


(Prof. Sanjay Kumar)


(Prof. Bindu Sharma)


(Prof. J.S. Bhardwaj)


(Prof. Dinesh Kumar)


(Prof. Roop Narayan)

For Kind Perusal and approval of the Hon'ble Vice Chancellor


(Vice Chancellor)



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut
Chief Warden Office

1/10/25/1662
02/4/22

Proceeding of the Meeting held on 29th March, 2022

A meeting of the wardens and Asstt wardens was held on 29th March at Chief Warden office in which the following members were present:

1. Prof. Rup Narayan
2. Dr. Dushyant Kumar Chauhan
3. Dr. Saru Kumari
4. Dr. Nazia Tarannum
5. Er. Milind
6. Er. Ankit Sisodiya
7. Er. Lakshmi Shankar Singh
8. Er. Saurabh Gaur
9. Dr. K.P. Singh
10. Ms Neha Garg
11. Ms Divya Sharma

8

The following decisions on the agenda items were taken unanimously:

(A) Discipline in Hostels

- i) Carrying food to rooms will be allowed to only the sick students in the hostel.

It was brought to the notice of the members that in some hostels, students bring some food items from outside e.g. paneer, non-veg items etc. and are in the habit of carrying chapatis/rotis in disproportionate numbers(20-60), with ulterior motive to feed the unauthorized/ and engage in group-eating in rooms. To stop this practice, it was decided to penalize students @Rs.500/- for violating the mess rules. This amount would be deducted from the involved student's/students' security.

It was decided to decide mess menu with student representatives every month with changed composition of student representatives every month. The "Duty officer of the day" will be expected to monitor the food quality, who will put his remarks on

Sisodiya

Dij

10/1/12

Sarav

Saru

Chauhan

SA

TH

R

the "FOOD TESTING REGISTER" that will be available in the Mess. It was also decided that attendance of students coming for meals will be maintained by the Mess contractor/manager where the students taking meals viz. breakfast, lunch & dinner will sign during the respective meal-taking period every day.

It was brought to the notice of all members that a lot of food is going wasted and the dump of unused food in plates often stinks so badly that it creates very unhygienic conditions. It was decided to admonish the hostel students in this regard to behave in a responsible manner.

ii) On the issues related to actions taken by wardens on acts of indiscipline (Dr. RK Singh hostel and MP hostel), the house stood by them and expected the wardens to undertake Inquiry giving hearing-opportunity to both alleged and complainant.

iii) It was decided to provide newspaper reading facility in all hostels over a newspaper-stand, encourage students to read English newspapers and strengthen their vocabulary in addition to gaining knowledge on current affairs.

An entertainment room, instead of a TV room, was deliberated upon to be developed equipped with a Table-tennis board, Chess and other economically viable items.

The wardens were also suggested to develop study room equipped with adequate furniture and light to provide the requisite ambience for sincere study by the interested students here.

It was decided to do the needful to ensure *wifi* facility to students in the hostels which is often highly unstable and disturbing.

iv) A healthy discussion was conducted to weigh the pros and cons of allowing students to celebrate their birthdays following discipline guidelines under the supervision of either warden/Asstt warden/other accountable and responsible persons of the university. Members in general expressed suspicion of discipline-problem emanating from such events. However, it was decided float the idea and discuss its feasibility with the students.

Dr. RK Singh
MP Hostel
Dr. RK Singh
MP Hostel

Dr. RK Singh

(B) Inter hostel Competitions

i) Academic Events


EVENT	Time	TOPIC	Participants/hostel
Elocution	3 minutes	Any topic of choice	2 *
Declamation	4 minutes	Use and misuse of Internet	1 *
		Science – a blessing or a curse	1 *
Debate	5 minutes	Freebies – good or bad for the future of India	2 *
Extempore	3 minutes	to speak on any one of the three topics to be given on the spot	2 *
QUIZ	Questions will cover topics of general studies, Current affairs, science & technology		2

* refers to no. of participants for delivery in Hindi and English

ii) GAMES AND SPORTS


It is decided to hold inter hostel games and sports competitions w.e.f. the end of second week of April. The wardens are suggested to select their teams in the mean time.



(Ms Divya Sharma)



(Ms Neha Garg)



(Dr. K.P. Singh)



(Er. Saurabh Gaur)


(Er. Lakshmi Shankar Singh)



(Er. Ankit Sisodiya)


(Er. Milind)


(Dr. Nazia Tarannum)


(Dr. Sarfu Kumari)


(Dr. Dushyant Kumar Chauhan)


(Prof. Rup Narayan)

For kind perusal and approval of the Hon'ble Vice-Chancellor

(Vice Chancellor)







चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
बैठक का कार्यवृत्त


दिनांक: 11.04.2022


आज दिनांक: 11-04-2022 को दोपहर 03:30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में वी०एस०एम०पी० छात्रावास में दिनांक: 14.03.2022 की रात्रि को हुई घटना की शिकायत संख्या- ARCC/UP-7278 दिनांक: 07-04-2022 एवं छात्रावास के छात्र के शिकायती पत्र दिनांक: 15.03.2022, 03.04.2022 एवं 04.04.2022 के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे।

1 प्रो० भूपेन्द्र सिंह	छात्र कल्याण अधिष्ठाता
2 प्रो० रूप नारायण	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
3 प्रो० बीर पाल सिंह	कुलानुशासक
4 डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
5 डा० अशोक सोम	प्रशा० अधिकारी, एस०सी०आर०आई०ई०टी०
6 डा० विवेक कुमार	समन्वयक, आई०एल०एस०
7 डा० के० पी० सिंह	सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास


सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- 1 विश्वविद्यालय की एन्टी रैगिंग समिति/वी०एस०एम०पी० छात्रावास अधीक्षक से सम्बन्धित घटना पर समयबद्ध रिपोर्ट प्राप्त की जाए।
- 2 घटना में संलिप्त छात्र पियूष कुमार (विधि विभाग छात्र) से घटना के सम्बन्ध में पृष्ठभूमि/स्पष्टीकरण माँगा जाए।



(डा० के० पी० सिंह)
सहा० वार्डन



(डा० विवेक कुमार)
समन्वयक



(डा० अशोक सोम)
प्रशा० अधिकारी


(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन


(प्रो० बीर पाल सिंह)
कुलानुशासक


(प्रो० रूप नारायण)
चीफ वार्डन


(प्रो० भूपेन्द्र सिंह)
छात्र कल्याण अधिष्ठाता



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

बैठक का कार्यवृत्त

V. 16/25/2299
15/6

आज दिनांक: 19-05-2022 को सायं 4:30 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं एवं साहायक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं व विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की एक बैठक आहुत की गयी। जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे।

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 प्रो० रूप नारायण | मुख्य छात्रावास अधीक्षक |
| 2 प्रो० भूपेन्द्र सिंह | डी०एस०उच्चयू० |
| 3 प्रो० बीर पाल सिंह | कुलानुशासक |
| 4 प्रो० दिनेश कुमार | वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास |
| 5 डा० दुष्यन्त कुमार चौहान | वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास |
| 6 डा० यशवेन्द्र वर्मा | वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास |
| 7 डा० सरू कुमारी | वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास |
| 8 डा० संजीव कुमार | सहा०, डा० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास |
| 9 डा० के० पी० सिंह | सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास |
| 10 डा० सी० पी० सिंह | सहा० वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास |
| 11 ई० अंकित सिसोदिया | सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास |
| 12 डा० लक्ष्मी शंकर सिंह | सहा० वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास |
| 13 ई० सौरभ गौड | सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास |
| 14 श्रीमती दिव्या शर्मा | सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास |
| 15 श्रीमती नेहा गर्ग | सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास |

समिति की बैठक में समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये।

- दुर्गा भाभी महिला छात्रावास की महिला गार्ड की दिनांक: 11.05.2022 को मैस संचालक के विरुद्ध कि गई शिकायत के आधार पर मैस संचालक/टेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
- महिला गार्ड की शिकायत के प्रकरण की जाच हेतु एक समिति का गठन किया गया जो निम्नवत् है, जो 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
 - प्रो० बिन्दु शर्मा
 - प्रो० दिनेश कुमार
 - डा० दुष्यन्त कुमार चौहान
 - डा० यशवेन्द्र वर्मा
 - डा० सरू कुमारी

समन्वयक एवं वार्डन, रानी लक्ष्मी महिला छात्रावास
वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास
वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक
वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक
वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
- छात्रावासों में बढ़ती नशे की समस्या के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकरण पर सुझाव संकलित एवं प्रेषित करने हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।
 - प्रो० दिनेश कुमार

वार्डन, डा० आर०के० सिंह छात्रावास

Shivodia

Ch. Charan Singh

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

19/5/2022

Blue

- ii. प्रो० संजय कुमार
- iii. डा० यशवेन्द्र वर्मा
- iv. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान
- v. डा० के० पी० सिंह
- vi. ई० मिलिन्द
- vii. ई० अंकित सिसोदिया
- viii. डा० लक्ष्मी शंकर सिंह

- वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
 वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
 वार्डन एवं सहा० कुलानुशासक
 सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
 वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
 सहा० वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
 सहा० वार्डन, डा० ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास

1 (श्रीमती नेहा गर्ग)
सहा० वार्डन

2 (श्रीमती दिव्या शर्मा)
सहा० वार्डन

3 (ई० सौरभ गौड)
सहा० वार्डन

4 (ई० लक्ष्मी शंकर सिंह)
सहा० वार्डन

8 (ई० अंकित सिसोदिया)
सहा० वार्डन

7 (डॉ० सी० पी० सिंह)
सहा० वार्डन

6 (डा० के० पी० सिंह)
सहा० वार्डन

5 (डा० संजीव कुमार)
सहा० वार्डन

9 (डा० सरू कुमारी)
वार्डन

10 (डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन

11 (डा० दुष्यन्त कुमार चौहान)
वार्डन

12 (प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन

13 (प्रो० बीर पाल सिंह)
कुलानुशासक

14 (प्रो० भूपेन्द्र सिंह)
डी०एस०डब्ल्यू०

15 (प्रो० रूप नारायण)
चीफ वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय कुलपति जी

15 members
were present
to discuss and resolve
but all members decided
to form subcommittee
of 13 members.
Is it justified.

Chief warden - M. see

Dayal



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

दिनांक:- 22.06.2022

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 22.06.2022 को अपराह्न 02.00 बजे छात्र कल्याण अधिष्ठाता, कुलानुशासक, सहायक कुलानुशासक, मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक छात्रावास अधीक्षकों एवं प्रतिकुलपति की एक संयुक्त बैठक मा० कुलपति जी की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आहूत की गयी। जिसमें छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की विभिन्न समस्याओं एवं विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनिक गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये -


1. प्रत्येक छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम चार बार मैस के भोजन का परीक्षण करेंगे एवं इसकी सूचना मुख्य छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा इस हेतु एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जायेगा।
2. जिस छात्रावास में छात्र/छात्राओं के भोजन कराने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है अथवा कम है वहाँ छात्रावास अधीक्षक अपने स्तर से छात्र/छात्राओं को भोजन कराने हेतु व्यवस्था करायेंगे।
3. प्रत्येक छात्रावास में सूखा राशन एवं हरी सब्जियों के रखने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि छात्रावासों में भोजन व्यर्थ न हो।
4. छात्रावासों में बिजली एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु प्लम्बर एवं सहायक प्लम्बर को आउटसोर्स के माध्यम से रखा जायेगा तथा प्रत्येक दिवस में इलैक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर छात्रावासों में भ्रमण कर वहाँ आ रही बिजली एवं पानी की समस्याओं का निराकरण कर लॉग बुक में उसकी प्रविष्टि करेंगे तथा उसे प्रत्येक दिन छात्रावास अधीक्षक से प्रमाणित करायेंगे।
5. ग्रीष्मकाल में यदि छात्रावास खोले जायेंगे तो कूलर की व्यवस्था प्रथम चरण में ऊपरी तल के आवासीय कमरों में की जायेगी।
6. आगामी सत्र से छात्रावासों की फीस में वृद्धि कर रू० 2100/- प्रति छात्र प्रति वर्ष किया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय परिसर में स्टेशनरी, ग्रेसरी, बार्बर, टेलर, धोबी (इस्तरी करने वाला) इत्यादि की व्यवस्था हेतु विचार।
8. परिसर के छात्र/छात्राओं के इंश्योरेंस/मेडिकलेम पर विचार।

(Signature)


(Signature)


(Signature)


9. मेडिकल इमरजेन्सी में विश्वविद्यालय के डॉक्टर को छात्र के उपचार हेतु उपस्थित होना होगा तथा छात्र को मेडिकल में भर्ती कराने की जिम्मेदारी भी उन्ही की होगी। इसके अतिरिक्त प्राचार्य, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ को इस आशय का पत्र लिखा जाये कि मेडिकल इमरजेन्सी में विश्वविद्यालय के छात्र को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
10. विश्वविद्यालय चिकित्सालय को प्रातः 8.00 से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जाने एवं फार्मसिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु विचार।
11. विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों में विश्वविद्यालय के हैल्पलाईन नम्बर्स यथा- डॉक्टर, मुख्य छात्रावारा अधीक्षक, कुलानुशासक, कुलसचिव आदि के मोबाईल नम्बर्स डिसप्ले किये जायें।
12. विश्वविद्यालय अगियन्ता मुख्य छात्रावास अधीक्षक के साथ परिसर के समस्त छात्रावासों का निरीक्षण सप्ताह में कम से कम दो बार करेंगे तथा उनके रतार की आ रही समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित करेंगे।
13. छात्रावासों के सभी अधीक्षकों के मोबाईलों पर छात्रावास में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों का लाईव डिसप्ले होना चाहिए।
14. परिसर में दो बार लगातार फाईरिंग होने के कारण डिग्गी गॉव की ओर प्रशासन के माध्यम से बैरिकेडिंग कराये जाने पर विचार।
15. विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर कैमरे की व्यवस्था कराया जाना तथा प्रत्येक वाहन का विवरण रजिस्टर में अंकित करना एवं मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगाये जाये। परिसर में प्रत्येक दशा में सायं 08.00 बजे के उपरान्त बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा।
16. विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर प्रत्येक आगन्तुक का रजिस्टर में उपस्थिति एवं प्रस्थान अंकित करने पर विचार।
17. प्रत्येक माह में एक बार प्रत्येक छात्रावास के सभी कमरों की रैण्डम तलाशी सहायक छात्रावास अधीक्षक द्वारा ली जायेगी एवं इसकी रिपोर्ट छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध करायेगे साथ ही यदि कोई प्रतिबंधित वस्तु पायी जाती है तो उसकी भी सूचना तत्काल छात्रावास अधीक्षक को देंगे।
18. छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक प्रत्येक दिन सायं 06.00 बजे छात्रावासों का निरीक्षण करेंगे।



प्रो० भूपेन्द्र सिंह
 छात्र कल्याण अधिष्ठाता


प्रो० बीरपाल सिंह
 कुलानुशासक



प्रो० रूप नारायण
 मुख्य छात्रावास अधीक्षक


वि०वि० अभियन्ता


कुलसचिव


प्रति कुलपति जी

मा० कुलपति महोदय के अनुमोदनाप


मा० कुलपति जी



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक: 15-09-2022 को दोपहर 03:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं एवं साहायक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे।

1	प्रो० रूप नारायण	मुख्य छात्रावास अधीक्षक
2	प्रो० दिनेश कुमार	वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास
3	प्रो० जे० एस० भारद्वाज	वार्डन, डा० भीम राव अम्बेडकर छात्रावास
4	डा० यशवेन्द्र वर्मा	वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
5	डा० दुष्यन्त कुमार चौहान	वार्डन, डा० के०पी० छात्रावास
6	डा० सरू कुमारी	वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास
7	इंजी० डी०पी० सिंह	वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
8	इंजी० प्रवीन कुमार	वार्डन, ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
9	डॉ० धर्मन्द्र कुमार	सहा० वार्डन, आर०के० सिंह छात्रावास
10	डा० के० पी० सिंह	सहा० वार्डन, वी०एस०एम०पी० छात्रावास
11	डॉ० अजय कुमार	सहा०, डा० बी० आर० अम्बेडकर छात्रावास
12	डॉ० अश्वनी शर्मा	सहा० वार्डन, पं० दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
13	डॉ० वन्दना राणा	सहा० वार्डन, रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास
14	इंजी लक्ष्मी शंकर सिंह	सहा० वार्डन, ए०पी०जे०ए०के० छात्रावास
15	श्रीमती निधि भाटिया	सहा० वार्डन, दुर्गा भाभी महिला छात्रावास

दुर्गा भाभी महिला छात्रावास में दिनांक: 12.09.2022 कि रात्रि समय 09:55 पर मैस का संचालन कर रहे मैस ठेकेदार/फर्म मैसर्स रघुवीर सिंह निशांत यादव एसोसिएट्स के लगभग 22 कर्मचारी जो मैस में अवैध रूप से रह रहे थे, व शराब का सेवन कर रहे थे। दो होमगार्ड सुरक्षाकर्मी व मैट्रन के द्वारा इन सभी को रंगे-हाथो पकड़ा गया जिसको निशांत यादव द्वारा सुरक्षाधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र में स्वयं स्वीकार/सत्यापित किया गया है।

उपरोक्त विषय पर समिति द्वारा गहनता से विचार किया गया। मैसर्स रघुवीर सिंह निशांत यादव एसोसिएट्स के कर्मचारियों से पूर्व में भी शराब की बोटल जब्त की गई व एक अन्य प्रकरण में छात्रावास की महिला सुरक्षागार्ड द्वारा निशांत यादव के भाई सौरभ यादव के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से सौरभ यादव को दुर्गा भाभी महिला छात्रावास एवं अन्य समस्त छात्रावासों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था।


अतः समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:


01. छात्रावास नियमों व मैस की शर्तों का सरेआम उल्लंघन के कारण सम्बन्धित वार्डन, कुलानुशासक, सम्बन्धित गार्ड तथा अन्य शिकायतों के आधार पर सम्बन्धित मैस ठेकेदार/फर्म मैसर्स रघुवीर सिंह निशांत यादव एसोसिएट्स को ब्लैक लिस्ट करते हुए इनकी सिक्योरिटी जब्त करने की सुस्तुति की जाती है।
02. समिति द्वारा दुर्गा भाभी महिला छात्रावास का मैस टैण्डर होने/अगले आदेशों तक वर्तमान सत्र 2022-23 में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास का मैस संचालित करने वाली


(Signatures)
15.9.22
15.9.22


फर्म मैसर्स मिनी दा रेस्टोरेन्ट के संचालक से दुर्गा भाभी महिला छात्रावास मैस चलाने की सहमति प्राप्त कर इस फर्म को मैस संचालित करने की संस्तुति की गई।


03. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर छात्रावास को भी सत्र 2022-23 में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मैस चलवाने की संस्तुति की गई।



(श्रीमती निधि भाटिया)
सहा० वार्डन


(इंजी लक्ष्मी शंकर सिंह)
सहा० वार्डन



(डॉ० वन्दना रणा)
सहा० वार्डन



(डॉ० अश्वनी शर्मा)
सहा० वार्डन



(डॉ० अजय कुमार)
सहा० वार्डन



(डॉ० के० पी० सिंह)
सहा० वार्डन



(डॉ० धर्मेन्द्र कुमार)
सहा० वार्डन



(इंजी० प्रवीण कुमार)
वार्डन



(इंजी० डी०पी० सिंह)
वार्डन



(डा० सरु कुमारी)
वार्डन


(डा० डी० के० चौहान)
वार्डन


(डा० यशवेन्द्र वर्मा)
वार्डन


(प्रो० जे० एस० भारद्वाज)
वार्डन


(प्रो० दिनेश कुमार)
वार्डन


(प्रो० रूप नारायण)
चीफ वार्डन

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

माननीय कुलपति जी


Approved as
Proposed
Saruchi